All Subject to Patiala Jurisdiction.

साप्ताहिक कृषि समाचार-पत्र

खेती संदेश

मूल्य : 6/- रुपए

Postage Registered No. PB/PTA/0339/2025-2027

WEEKLY KHETI SANDESH

E-mail : khetisandesh2025@gmail.com

Chief Editor : Parminder Kaur • RNI Regd. No. PBBIL/25/A0210 • Issue Dt. 29-12-2025 • Vol.1 No.19 • H.O. : # 9-A, Ajit Nagar, Patiala-147001 (Pb.) • Mob. 90410-14575 • Page 12

रबी की फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा ठंड व कोहरा

दिसंबर के अंत में बदले मौसम ने रबी की फसलों को नया जीवन दिया है। ओस की बूंदें और हवा में बढ़ी नमी गेहूं और चने के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही हैं। इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधों का अंकुरण बेहतर होगा। कृषि विभाग को इस बार बंपर उत्पादन की उम्मीद है।

दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। खेतों में गिर रही ओस और वातावरण में बढ़ी नमी रबी की फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधन सीमित हैं और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, वहां यह प्राकृतिक नमी मिट्टी में जरूरी आर्द्रता बनाए रखने में मदद करेगी। इससे बीजों का अंकुरण बेहतर और मजबूत होगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इस मौसम का सबसे अधिक लाभ गेहूं और चना की फसलों को मिलेगा, जिससे पैदावार बढ़ने की उम्मीद है।

गेहूं की फसल के लिए वर्तमान मौसम अत्यंत अनुकूल साबित हो रहा है, जिससे पौधों में तेजी से बढ़त और अधिक फुटाव देखने को मिलेगा। किसानों के अनुसार, इस समय गेहूं की फसल अपने अंकुरण और शुरुआती विकास की अवस्था में है, और ऐसे में बढ़ती सर्दी फसल के लिए 'सोना' साबित हो रही है। ठंड बढ़ने से न केवल बीजों का जमाव बेहतर होता है, बल्कि फसल का वानस्पतिक विकास भी तेजी से होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार सीकर कृषि खंड के चारों जिलों में लगभग दस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसलों की बुवाई की गई है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है।

सीकर के अतिरिक्त कृषि निदेशक एस.आर. कटारिया ने इस प्राकृतिक प्रक्रिया के वैज्ञानिक लाभों पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार, सर्दियों में तापमान गिरने से वातावरण की नमी पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। जब आसमान साफ होता है, तो सूरज निकलने पर यह पानी धीरे-धीरे वाष्पित होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओस में मौजूद नाइट्रोजन पौधों के लिए प्राकृतिक यूरिया की तरह काम करता है। यदि वातावरण प्रदूषण रहित है और फसलों पर नियमित रूप से ओस गिर रही है, तो किसानों को खेतों में अलग से यूरिया खाद डालने की कम आवश्यकता पड़ती है। यह न केवल फसलों की सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि इससे किसानों की लागत में भी कमी आती है।

एसआर कटारिया ने आगे जानकारी दी कि ओस के माध्यम से मिलने वाला नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत गुणकारी होता है। यह न केवल पौधों के शीघ्र विकास में मदद करता है, बल्कि पत्तियों पर गिरने वाले नाइट्रोजन से उनकी संरचनात्मक मजबूती भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया जड़ों के माध्यम से पोषक तत्वों के अवशोषण को भी सुगम बनाती है। इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव फसल की बढ़वार और अंतिम पैदावार पर पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि आगामी दिनों में मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा, तो गेहूं, चना और अन्य सभी रबी फसलों की बंपर पैदावार होगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

किसानों के अनुसार, रबी फसलों पर ओस गिरने से शुरुआती अवस्था में पौधों की जड़ों का विकास काफी बेहतर होता है। इससे गेहूं के पौधों की लंबाई और बालियों के आकार में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप पैदावार के दाने अधिक चमकदार और वजनदार बनते हैं. चने की फसल के मामले में, ओस से मिलने वाली नमी फूल और फलियां गिरने की समस्या को कम करने में मददगार साबित होती है. साथ ही, खेतों में ओस के कारण हरियाली बनी रहने से पौधों की बढ़वार संतुलित रहती है और वे स्वस्थ रहते हैं।

ओस के प्रभाव से दानों का आकार और उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है, साथ ही फसल में कीटों के प्रकोप में भी आंशिक रूप से कमी आती है। सरसों की फसल में इसके सकारात्मक परिणाम शाखाओं के बेहतर विकास के रूप में दिखाई देते हैं। अगेती सरसों में फूल आने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और दानों में तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है. इसके अलावा, जौ और अन्य दलहनी फसलों का अंकुरण बेहतर होता है और नमी की उपलब्धता के कारण पौधों में मौसम की मार से होने वाला तनाव कम हो जाता है।

वेजफेड बिहार के किसानों से खरीदेगा 20 हजार मीट्रिक टन टमाटर

बिहार में टमाटर उगाने वाले किसानों के लिए एक उत्साहवर्धक खबर सामने आई है। राज्य सरकार की एक पहल के तहत अब किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना (वेजफेड) को राज्य की विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कुल 20 हजार मीट्रिक टन टमाटर सप्लाई करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस निर्णय की घोषणा शुक्रवार को सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई वेजफेड की समीक्षा बैठक के दौरान की गई।

किसानों को सीधा लाभ

इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य टमाटर की खरीद को सीधे किसानों से जोड़ना है। अब तक, किसानों को अक्सर अपनी उपज बिचौलियों के माध्यम से कम दामों पर बेचनी पड़ती थी, जिससे उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। इस योजना के तहत, टमाटर सीधे किसानों से खरीदे जाएंगे और तय प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचाए जाएंगे। इस प्रक्रिया से न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि उन्हें समय पर भुगतान की गारंटी भी मिलेगी। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वेजफेड की भूमिका और तैयारियां

इस मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए वेजफेड ने तिरहुत सब्जी संघ, मोतिहारी को निर्देश दिया है कि वह टमाटर की खरीद के लिए राज्य के सभी सब्जी संघों और प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (पीवीसीएस) के साथ समन्वय स्थापित करे। इसके तहत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में पंजीकृत पीवीसीएस और सात पंजीकृत सब्जी उत्पादक संघों - हरित, तिरहुत, मिथिला, मगध, भागलपुर, मुंगेर और सारण - के माध्यम से किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा। ये संघ किसानों को संगठित करने और उन्हें बाजार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

बाजार और उद्योग दोनों को फायदा

इस योजना का लाभ केवल किसानों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि यह प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी एक स्थिर और विश्वसनीय कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। सभी जिलों और प्रखंडों से खरीदे गए टमाटर को निर्धारित प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचाया जाएगा। इससे प्रसंस्करण संयंत्रों को लगातार गुणवत्तापूर्ण टमाटर मिलते रहेंगे और उनकी उत्पादन प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। इसके साथ ही, टमाटर के बर्बाद होने की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि उपज का एक बड़ा हिस्सा सीधे प्रसंस्करण के लिए पहुंचेगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार के नेतृत्व में हुई इस बैठक में लिया गया निर्णय बिहार के कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से सब्जी उत्पादक किसानों के लिए एक नए युग का सूचक है। यह योजना सहकारिता आंदोलन को मजबूत करते हुए किसानों को उनके श्रम का पूरा लाभ दिलाने, उनकी आय में वृद्धि करने और राज्य के प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने का एक समन्वित प्रयास है। यदि सफलतापूर्वक लागू किया जाए, तो यह मॉडल न केवल बिहार बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।

मिलावटखोरी और मुनाफाखोरी को रोक पाओ तो जानें!

अकु श्रीवास्तव

देश में मिलावटखोरी और मुनाफाखोरी आम हो गई है। आज से नहीं है यह। आज़ादी के बाद से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। कौन कहां, कितना, किसे नोच सकता है, यह आम पैमाना है। आज से 4-5 दशक पहले कहा जाता था – तनख्वाह तो ठीक है, इंकम कितनी है। आज इंकम की बात ज्यादा होती है। सिर्फ सरकारी नौकरी में ही नहीं, व्यापार में और ज्यादा। यह समस्या समाज के चारित्रिक पतन के गंभीर संकेत देती है।

शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 5 साल में जितनी भी खाद्य सामग्रियों के सैंपलों की जांच की गई, उनमें से हर 5वें सैंपल में मिलावट पकड़ी गई। कुल 1.7 लाख से ज्यादा खाद्य सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना केन्द्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। भारत में मिलावटखोरी रोकने के लिए एक बहुस्तरीय व्यवस्था है। इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) प्रमुख है।

यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए मानक बनाता है। लाइसैंसिंग और पंजीकरण के जरिए खाद्य व्यवसायों का विनियमन भी यही करता है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एफ.एस.एस.ए.आई. को मिलावट को नियंत्रित करने की शक्तियां देता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को भी मिलावट के खिलाफ शिकायत करने और मुआवजे का दावा करने का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 272 और 273 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

मगर यह सब व्यवस्था कागजों पर है, जिस पर अफसरशाही धूल की मोटी परत की तरह सवार है। लाइसैंसिंग और जांच के काम अक्सर भ्रष्टाचार की दलदल में डूब जाते है और आम लोगों को मिलावटखोरी का शिकार बन गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। खाद्य पदार्थों की जांच हमारे देश में अक्सर दीपावली या राज्यों में कुछ प्रमुख त्यौहारों से पहले होने वाला वार्षिक कमाई का उत्सव भर होता है। थोड़ा-बहुत मिलावटी खोया, गंदी रसोइयों से पक रहे पकवानों को फेंकते-उलटते है। इस दशहत के जरिए वसूली ज्यादा होती है और मिलावटखोरी के मामले कम दर्ज किए जाते हैं।

यही वजह है कि देश में ज़हरीली दवाओं से बच्चे मारे जाते हैं। लोगों की किडनियां फेल हो जाती हैं, लिवर खराब हो जाता है। उनका बाकी का जीवन नर्क हो जाता है, मगर नेता और अधिकारियों के संरक्षण में मिलावट का धंधा बदस्तूर जारी रहता है। कुछ थोड़े-बहुत मामले नाटकीय ढंग से पकड़े भी जाते हैं।

गत् 18 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा, जिसमें चिप्स और नमकीन के पैकेट्स के नीचे कोडीन युक्त सिरप की शीशियां छुपाकर सप्लाई की जा रही थीं। बाद में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के सचिव रोशन जैकब ने मीडिया को बताया कि यह सिरप दवा नहीं, बल्कि नशे के रूप में बेचा जा रहा था। जांच के एस.आई.टी. का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड में कई निर्माता कंपनियों के डिपो की जांच की गई। 279 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। 32 अभियुक्त (यह संख्या और बढ़ सकती है) गिरफ्तार किए गए। एस.टी.एफ. ने अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया, जिसे मीडिया में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी भी बताया गया। इस पर धनंजय को सफाई भी देनी पड़ी। तय है कि मामला सिर्फ नीचे वालों का नहीं है।

4 नवम्बर को सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस के साथ शहर के मछली गोदाम परिसर से कोडीन युक्त कफ सिरप की डेढ़ लाख शीशियां बरामद कीं। कोडीन अफीम से बनने वाली एक मादक दवा है, जो रासायनिक रूप से हैरोइन (मॉर्फिन) के समान है। चिकित्सा मैनुअल के अनुसार इसका इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में तभी किया जाता है, जब गैर-ओपिओइड दवाएं असर न कर रही हों। कोडीन युक्त कोई भी दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं दी जा सकती। यूरोपियन मैडिसन एजेंसी के मुताबिक खांसी और जुकाम के लिए कोडीन का इस्तेमाल 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वर्जित है। इसके अलावा 12 से 18 साल के ऐसे बच्चों को भी यह दवा नहीं दी जा सकती, जिन्हें सांस संबंधी कोई समस्या हो।

इससे पहले अक्तूबर महीने में ज़हरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 15 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। श्रीसन फार्मास्युटिकल्स में बन रहे कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 48.6 फीसदी डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था। यह एक ज़हरीला रसायन है, जिससे किडनी फेल हो जाती है।

14 अक्तूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने भारत में बन रही 3 मिलावटी दवाओं की पहचान की थी। इनमें कोल्ड्रिफ के अलावा रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स का रेस्पिफ्रेश टी. आर. तथा शेप फार्मा का रीलाइफ शामिल था। इस तरह मिलावटखोरों और ज़हर के व्यापारियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को बट्टा लगाया।

देश में मिलावटी खाद्यान्न बेचने का धंधा धड़ल्ले से जारी है। इससे अब चना भी नहीं बचा। दो सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से खाद्य विभाग ने 30 टन मिलावटी भुना चना जब्त किया। इसे कपड़ा और चमड़ा रंगने वाले ज़हरीले सिंथैटिक रंग ओरोमाइन ओ से रंग कर पीला और चमकदार बनाया गया था, जो अपने अत्याधिक कैंसरकारी गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। पिछले महीने दिल्ली के व्यस्त बाज़ारों में बिकने वाले भुने चनों के 200 नमूनों की जांच की गई थी, इनमें 40 फीसदी से ज्यादा नमूनों में ओरोमाइन ओ पाया गया था।

दिसम्बर के पहले सप्ताह में हैदराबाद में नकली घी का मामला पकड़ा गया। इस मामले में 68 वर्षीय अन्नामाली साईनाथन को गिरफ्तार किया गया, जो नारियल तेल, पाम ऑयल और डालडा में फूड कलर मिला कर गाय का नकली घी तैयार करता था।

मुनाफाखोर धर्म की आड़ में भी मिलावट कर मोटी कमाई करते हैं। यह सब नेताओं के संरक्षण से भी संभव हो पाता है। पिछले साल तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चढ़ने वाले लड्डुओं में चर्बी की मिलावट की खबर ने लोगों को झकझोर दिया था।

कई डॉक्टर नान ब्रांडेड दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। पिछले दिनों हिमाचल के बद्दे में छापा मारा गया तो कई दवाओं के निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल उठे। ऐसा ही छापा हैदराबाद में भी मारा गया। दोनों ही जगह बड़े निर्माण केन्द्र हैं। मुनाफाखोरी के इस खेल में जिसका फायदा हो रहा है और उस फायदे में से फायदा नेता और अधिकारी उठा रहे हों, वे बोलेंगे क्यों? इन मामलों में जब तक समरी ट्रायल संक्षिप्त सुनवाई) की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक बात बनेगी नहीं। इसमें तेज़ी से कार्रवाई करनी होगी।

पटियाला के दुगाल कलां के मनजीत सिंह कुक्कू के पास 39 पशुओं की डेयरी

चार एकड़ में जैविक खेती, प्रति दिन 3 क्विंटल दूध का उत्पादन

सिर्फ खेती पर निर्भर रहने की बजाय सहायक धंधे डेयरी को अपनाकर भी एक बड़ा कारोबारी बना जा सकता है। पातड़ां के दुगाल कलां गांव के युवा किसान मनजीत सिंह कुक्कू ने यह कर दिखाया। वह 4 एकड़ में जैविक खेती करते हैं और 39 पशुओं की डेयरी चलाते हैं, जिनसे प्रति दिन तीन क्विंटल दूध का उत्पादन होता है। वह दुग्ध उत्पाद भी बना कर बेचते हैं।

42 वर्षीय मनजीत की कहानी दिलचस्प है। उनके मुताबिक, खेती के अलावा कोई सहायक धंधा शुरू करने की सोच के साथ उन्होंने 2005 से 2009 तक डेयरी का काम किया। वर्ष 2009 में खन्ना के पास सरकारी संस्था से डेयरी चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह फिर अन्यत्र व्यस्त हो गए। लेकिन चार साल पहले, 2021 में, उन्होंने महज 3 भैंसों से फिर दूध बेचने का काम शुरू किया। इस काम में शुद्धता के साथ कभी समझौता नहीं किया। इसका लाभ यह हुआ कि यह काम धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि खेतों में आधुनिक डेयरी फार्म तैयार

करना पड़ा। अब उनके पास साहीवाल नस्ल की 19 भैंसें और जरसी नस्ल की 20 विदेशी गायें मौजूद हैं। उन्हें अच्छा-खासा मुनाफा हो रहा है। वह यही नहीं रुके। फिर उन्होंने दुग्ध उत्पाद तैयार करने की सोच को अंजाम दिया। चूंकि, रोजाना करीब 3 क्विंटल दूध का उत्पादन होता है, इसलिए उनका हौसला बढ़ा। वह दूध 60 व 70 रुपए, लस्सी 30 रुपए लीटर, देसी घी 1300 रुपए किलो, पिन्नी 450 रुपए किलो और गाजरपाक 600 रुपए किलो बेचते हैं। वह मिठाइयों में चीनी की जगह मिश्री का उपयोग करते हैं। वह जैविक गन्ने से गुड़ व शक्कर तैयार करते हैं। उन्होंने कई लोगों को रोज़गार दे रखा है। वह खेती के अलावा डेयरी से प्रति वर्ष 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी हासिल कर लेते हैं।

मनजीत सिंह ने बताया कि उनके परिवार में भाई, दो बेटे और पत्नी हैं। उनके पास कुल 48 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 18 एकड़ अपनी और शेष ठेके पर है। वह चार एकड़ में जैविक सब्जियां और गन्ना, बाकी ज़मीन में धान और गेहूं की खेती करते हैं। वह पशुओं के लिए चारा और खाद्य सामग्री भी स्वयं तैयार करते हैं, जिससे दूध उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है और लागत भी कम आती है। वह खेती में जहरीले कीटनाशकों की जगह देसी खाद व जैविक विधियों का उपयोग करते हैं। उनकी यही इच्छा है कि हर किसी को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले और हर किसान जैविक खेती करे। वह भी हर साल जैविक खेती बढ़ाते जाएंगे।

गेहूं में खरपतवारों की रोकथाम को आधुनिक युग में खरपतवार नियंत्रण के बजाय खरपतवार प्रबंधन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। विधियां वही हैं, केवल धारणा बदली है।

गेहूं में खरपतवारों की रोकथाम की विधियां

डॉ. रघुबीर सिंह कालीरामणां, खण्ड कृषि अधिकारी, बरवाला (हिसार), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचकूला

गेहूं में खरपतवार प्रबंधन की नवीनतम विधियां : खरपतवार प्रबंधन के निरोधी उपाय, शस्य विधियां द्वारा खरपतवार प्रबंधन, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण निरोधी उपाय :

1. उत्तम क्वालिटी के खरपतवार मुक्त बीजों का प्रयोग करें, ताकि गेहूं की बुवाई के साथ खरपतवारों की बुवाई ना हो सके।

2. अच्छी तरह गली-सड़ी गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। कच्ची गोबर की खाद में खरपतवार के बीज जीवित रहते हैं। क्योंकि पशु चारे के साथ जो खरपतवारों के बीज होते हैं, वह बिना गले बाहर आ जाते हैं। यह बीज कच्ची खाद के साथ खेतों में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अच्छी गली-सड़ी खाद को ही खेतों में डालें।

3. सिंचाई की नालियों, गेहूं के खेतों की मेड़ों को साफ रखें ताकि खरपतवारों के बीज व वनस्पति भाग सिंचाई के पानी के साथ मुख्य खेत में प्रवेश ना कर सकें।

4. खरपतवार के पौधों को बीज बनने से पहले ही खेतों से बाहर निकाल दें। यदि खरपतवारों के बीज खेत में ही झड़ गए, तो मिट्टी में खरपतवारों की संख्या बढ़ेगी।

5. गेहूं के खेतों में मंडूसी गेहूं में लगभग 20 दिन पहले पक जाती है। इसके बीज गेहूं में मिश्रित ना होकर, इसके लिए इसे बीज पकने से पहले खेती से निकाल दें।

6. गेहूं की कम्बाईन से कटाई या थ्रैशर से झड़ाई करने से पहले मशीन को पूरी तरह साफ कर लें, इससे खरपतवारों के बीज पकने से पहले खेतों से निकल दें।

7. भण्डारित गेहूं में खरपतवारों के बीज अगर मिश्रित होते हैं, तो दोनों की नमी में फर्क होने की वजह से फफूंद/मोल्डस का खतरा बढ़ जाता है।

शस्य विधियों द्वारा खरपतवार प्रबंधन : गेहूं की ऐसी किस्म का चुनाव करें, जिसकी बढ़त अधिक हो, जो शीघ्रता से ज़मीन को ढक ले और प्रारम्भिक अवस्था में उगने वाले खरपतवारों को अच्छी प्रतिस्पर्धा दे। गेहूं के पौधों का समान जमाव व अधिक बढ़वार की वजह से खरपतवारों की बढ़वार को कम स्थान मिलता है।

निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें : उत्तम क्वालिटी के बीज, बीज उपचार, उचित खेत की तैयारी, उचित नमी, उचित बीज मात्रा, उचित गहराई पर बीज की बुवाई

उचित विधि द्वारा बुवाई : गेहूं में खरपतवारनाशियों का प्रयोग घास कुल गेहूं की फसल के साथ उगने वाले खरपतवार अधिकतर मौसमी हैं, जिनका जमाव निश्चित तापमान पर ही होता है। जैसे मंडूसी का जमाव आमतौर पर नवम्बर के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है। कुछ खरपतवार गेहूं के बीजों के साथ-साथ ही अंकुरित हो जाते हैं। कुछ खरपतवार पहली सिंचाई के बाद ही अंकुरित होते हैं। इसलिए गेहूं की बुवाई को नवम्बर 15 तक पूरी कर लें, क्योंकि इस समय का तापमान मंडूसी के जमाव के अनुकूल नहीं होता, जिससे मंडूसी का प्रकोप कम रहता है।

फसल-चक्र अपनाएं : विभिन्न प्रकार की फसलों को फसल-चक्र में शामिल करने से खरपतवारों का जीवन-चक्र टूटता है। फसलों के बदलने से उनकी शस्य क्रियाएं बदलती है, उनमें प्रयोग होने वाले खरपतवारनाशी बदलते है। उदाहरणत: धान-गेहूं फसल-चक्र में बरसीम, मटर, सब्ज़ियां, तोरिया, सूरजमुखी जैसी फसलों को गेहूं के बदले में उगा कर मंडूसी के प्रकोप व खरपतवारनाशी की प्रतिरोधी क्षमता के विकसित होने से बचा जा सकता है। बुनियादी खाद को बीज से 2-3 सैंटीमीटर गहरा डालें। ज़ीरो टिलेज से गेहूं की बुवाई करने से गेहूं का जमाव जल्दी होता है और मिट्टी की ऊपरी सतह को ना छोड़ने की वजह से मंडूसी का जमाव कम होता है।

स्टेलबेड विधि : इस विधि से खाली खेत की सिंचाई करके खरपतवारों को जमने का मौका दिया जाता है। इन उगते हुए खरपतवारों को जुताई करने या नान सलेक्टीव खरपतवारनाशी जैसे ग्लाइसोफोसेट का 1 प्रतिशत घोल स्प्रे करके खत्म किया जा सकता है। फिर इस खरपतवार मुक्त खेत में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। रासायनिक तत्वों के पोषण व पानी का प्रयोग खरपतवार व फसल में होता है। इसलिए खाद का प्रयोग खरपतवार नियंत्रण के बाद करें ताकि इनका लाभ गेहूं को मिले, ना कि खरपतवारों को।

रासायनिक खरपतवार नियंत्रण : खरपतवारनाशी आधुनिक कृषि विज्ञान की परम आवश्यकता है। खरपतवारनाशी द्वारा खरपतवार प्रबंधन करना मज़दूरों द्वारा, यंत्रों द्वारा, शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है।

गेहूं में खरपतवारनाशी का प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है :

फसल - खरपतवार जमने से पहले (प्री एमरजेन्स) और खरपतवार जब 2-4 पत्ती अवस्था में हों (पोस्ट एमरजेन्स)

प्री एमरजेन्स खरपतवार-नाशी : गेहूं बुवाई के तुरन्त बाद पैन्डीमैथालिन 3.3 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से 500 लीटर

शेष पृष्ठ 8 पर

Now Think Before Advertising
KHETI DUNIYAN RETAINS
LEADERSHIP
IN
READERSHIP
No. 1
RURAL WEEKLY

KHETI DUNIYAN
VOICE OF THE FARMERS
KD COMPLEX, GAUSHALA ROAD, NEAR SHER-E-PUNJAB MARKET, PATIALA-147001 (PB.) INDIA
Mob. 90410-14575
khetiduniyan1983@gmail.com

खेती संदेश

KHETI SANDESH

मुख्य कार्यालय :
9–ए, अजीत नगर,
पटियाला–147001
(पंजाब)
मो. 98151–04575

कार्पोरेट कार्यालय :
के.डी. कॉम्पलैक्स, गऊशाला रोड,
नजदीक शेरे पंजाब मार्केट,
पटियाला–147001
(पंजाब)
मो. 90410–14575

वर्ष : 01 अंक : 19
तिथि : 29-12-2025

सम्पादक
परमिंदर कौर

सम्पादकीय बोर्ड
डॉ. डी.डी. नारंग
डॉ. जे.एस. डाल
डॉ. आर.एम. फुलझेले

Editor : **PARMINDER KAUR**
Printer, Publisher and Owner of Weekly **'KHETI SANDESH'** Printed at **Drishti Printers**, Dasmesh Market, Near Sher-e-Punjab Market, Gaushala Road, Patiala-147001 (Pb.) and published from **Kheti Sandesh**, House No. 9-A, Ajit Nagar, Patiala-147001 (Pb.). E-mail : khetisandesh2025@gmail.com Mob. 90410-14575, RNI No.**PBBIL/25/A0210**

फल व सब्ज़ियों का जीवन में महत्व

ऐसा माना जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप किसी भी वस्तु का सुख महसूस नहीं कर सकते। शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने में विटामिन और खनिज तत्वों का खास महत्व है। ये दोनों पोषक तत्व शरीर को कई बीमारियों से भी बचाते हैं। फल व सब्ज़ियों का हमारे भोजन में अतुलनीय योगदान है। ये हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। इन्हें सुरक्षात्मक खुराक भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें खनिज, लवण व विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें रेशा भी होता है। इन्हें नियमित रूप से आहार में शामिल करने से अनेक रोगों से बचा जा सकता है। फल व सब्ज़ियों से मिलने वाले विटामिन व खनिज पदार्थों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है :

विटामिन : विटामिन हमारे शरीर को बनाने में योगदान देते है और साथ ही अनेक बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं – वसा में घुलनशील ('ए', 'डी', 'ई' व 'के') एवं जल में घुलनशील ('बी' व 'सी')।

विटामिन 'ए' : आंखों की रोशनी बरकरार रखने के लिए यह विटामिन अति आवश्यक है। यह त्वचा को पोषण भी प्रदान करता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट (जीवन रक्षक तत्व) है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधी तंत्र को सुदृढ़ करने में भी सहायक है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में यह विटामिन दो प्रकारों – रेटीनोल एंव बीटाकैरोटीन के रूप में पाया जाता है। सामान्यत: बीटाकैरोटीन फलों एवं सब्ज़ियों में पाया जाता है। यह पोषक तत्व फलों एवं सब्ज़ियों को चटख हरा, नारंगी, लाल और पीला रंग प्रदान करता है। विटामिन 'ए' टमाटर, पपीता, शकरकंदी, गाजर, कद्दू, शिमला-मिर्च, खुमानी और आम में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।

विटामिन 'बी' : ये विटामिन विभिन्न आहारों से ऊर्जा ग्रहण कर इसे शरीर में प्रसारित कर देते है। यह स्वस्थ रक्त का निर्माण करने में भी सहायक है। मुंह में छाले होना व जलन होना, इसकी कमी के लक्षण है। भिंडी, टमाटर, केला और हरी सब्ज़ियां विटामिन 'बी' के अच्छे स्त्रोत हैं।

विटामिन 'सी' : यह शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक है। यह मांस-पेशियों, लिगामेन्ट्स और कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। घाव को शीघ्र भरने में भी यह विटामिन सहायक है। विटामिन सी एंटी-ऑक्सीडेंट भी है। इस कारण यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। नींबू, संतरा, आंवला, ताज़े फलों और सब्ज़ियों जैसे शिमला मिर्च, मटर और टमाटर इस विटामिन के प्रमुख स्त्रोत है।

विटामिन 'डी' : इसकी कमी से सूखा रोग व हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अंडा, मछली, मछली का तेल, मशरूम, दूध, दही, पनीर व सूर्य की किरणें विआमिन डी के मुख्य स्त्रोत है।

विटामिन 'ई' : यह भी एंटी-ऑक्सीडेन्ट का कार्य करता है। विटामिन 'ई', फ्री-रेडिकल्स (शरीर के लिए नुकसान देह पदार्थ) से होने वाली शरीर की क्षति को रोकता है व कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर में फ्री-रेडिकल्स प्रदूषण और कोशिकाओं की टूट-फूट से पैदा होते है। चिकित्सकों के अनुसार विटामिन 'ई' युवा बनाए रखने में सहायक है और कैंसर से भी बचाव करता है। विटामिन 'ई' वृद्धा वस्था की ओर अग्रसर होने वाली कुदरती प्रक्रिया को धीमा कर देता है। हरी पत्तेदार सब्ज़ियों में यह विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।

विटामिन 'के' : इस विटामिन की कमी से शरीर में चोट लगने पर रक्त स्त्राव जल्दी से नहीं रुकता। वनस्पति तेल व हरी पत्तेदार सब्ज़ियां इसके मुख्य स्त्रोत है।

फोलिक एसिड : हमारे शरीर में खून बनाने के लिए फोलिक एसिड बहुत आवश्यक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्ज़ियों में पाया जाता है।

खनिज पदार्थ : खनिज तत्वों में प्रमुख रूप से आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैगनीज़ और आयोडीन आदि है :

आयरन : हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व है, जो शरीर में ऑक्सीजन का सही ढंग से प्रसार करता है। आहार में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। इसमें मरीज बेहद दुर्बल और थकान अनुभव करता है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इस सन्दर्भ में यह बात याद रखी जानी चाहिए कि विटामिन सी शरीर में आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। हरी सब्ज़ियां जैसे पालक, मेथी, खजूर व सेब आयरन के मुख्य स्त्रोत है।

कैल्शियम : हड्डियों व दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम एक आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर में कैल्शियम की कमी से आस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है व ज़रा आघात लगने पर हड्डियां टूट जाती है। आमतौर पर बढ़ती उम्र में यह बीमारी अधिक होती है। कैल्शियम दूध और इससे निर्मित उत्पादों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फलों में यह केले, अमरूद व हरी पत्तेदार सब्ज़ियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।

पोटाशियम : यह खनिज तत्व शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बरकरार रखता है। मांसपेशियों के सुचारू रूप से संचालन में भी पोटाशियम सहायक है। यही नहीं यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। टमाटर, चुकन्दर, केला इसके प्रमुख स्त्रोत हैं।

आयोडीन : आयोडीन थायरोक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा यह शरीर की चयापचय क्रिया (मेटाबोलिज्म) को भी सुचारू रूप से संचालित करने में मददगार है। पालक में आयोडीन पाया जाता है।

मैग्नीशियम : यह मांसपेशियों को स्वस्थ व सक्रिय रखने में सहायक है। यह शरीर के एंजाइम सिस्टम को भी सही रखता है। पालक, शकरकंद, सेम और अंजीर में मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।

मैगनीज़ : यह खनिज तत्व कैल्शियम और आयरन के साथ संयुक्त होकर अपना प्रभाव छोड़ता है। शरीर के विभिन्न एंजाइमों को सुचारू रूप से सक्रिय करने में इस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कोशिकाओं को भी स्वस्थ रखने में सहायक है। मटर, केला और अन्नानास मैगनीज़ के प्रमुख स्त्रोत है।

शरीर को चुस्त-दुरुस्त व स्वस्थ रखने के लिए अपने खान-पान व दैनिक आहार में फलों और सब्ज़ियों को अवश्य महत्व देना चाहिए व मौसम के फल और सब्ज़ियों का नियमित सेवन करना चाहिए ताकि शरीर के लिए आवश्यक विटामिन व खनिज पदार्थों की पूर्ति हो सके।

स्वीट कॉर्न उगाएं और अधिक लाभ कमाएं

जे. के. नांदल व प्रेमदीप, कृषि विज्ञान केन्द्र, सोनीपत

स्वीट कॉर्न मक्का की एक किस्म है, जिसमें सुक्रोज की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है और खाने में काफी स्वादिष्ट तथा मीठी होती है, इसलिए इसको स्वीट कॉर्न कहते हैं। अधिक ठण्ड एवं गर्मी इसकी उपज को प्रभावित करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में स्वीट कॉर्न को खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाया जा सकता है। समय को ध्यान में रख कर खेती करने से किसान मालामाल हो सकते हैं।

उन्नत जातियां : जातियों का चुनाव ऋतु अथवा समय आधारित करना आवश्यक है। स्वीट कॉर्न में सुक्रोज काटने के तुरन्त बाद घटने लगता है तथा स्टार्च में बदलने लगता है। काटने के बाद यदि स्वीट कॉर्न को कम तापमान पर रखा जाए, तो इसका सुक्रोज काफी दिनों तक स्थिर बना रहता है।

माधुरी, प्रिया, अल्मोडा, मधुमक्का, शुगर-75 और बिना औरेंज इसकी प्रमुख जातियां हैं। ये सभी जातियां 70 से 90 दिन में तैयार हो जाती हैं।

पृथक्करण : स्वीट कॉर्न एक पर-परागण वाली फसल है। इसलिए इसको स्वीट कॉर्न की दूसरी किस्म से कम से कम 400 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, दूसरी जातियों के साथ लगाने से इसके दानों का रंग, मिठास और आकार में बदलाव आ जाता है, जिससे स्वीट कॉर्न की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अलग-अलग पकने वाली प्रजातियों की बुवाई की जाए, जिसकी पुष्पावस्था में कम से कम 10 दिन का अन्तर होना चाहिए।

भूमि : स्वीट कॉर्न को सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज हेतु दोमट, बलुई दोमट, जिसका उचित जल निकास हो तथा उचित कार्बनिक मात्रा हो। बुवाई से पहले भूमि को अच्छी तरह जुताई करके तैयार कर लेना चाहिए।

बीज की मात्रा : एक एकड़ के लिए 8 से 8.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 20 से 50 हज़ार पौधे एक एकड़ में होने चाहिए। बीज को 60 सैंटीमीटर बनी डोलियों पर 15 से 20 सैंटीमीटर की दूरी पर बुवाई करें, बीज को 3 से 5 सैंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। बीमारियों से बचाव के लिए उपचारित बीज की बुवाई करें। एक किलोग्राम बीज का उपचार 4 ग्राम थाइरम दवा से करें।

बुवाई का समय : स्वीट कॉर्न की बुवाई का उचित समय जून-जुलाई तथा अक्तूबर-नवम्बर है, लेकिन आमतौर पर सोनीपत क्षेत्र में सितम्बर में बुवाई करने से किसान को मण्डी में ज्यादा कीमत मिलती है।

खाद एवं उर्वरक : स्वीट कॉर्न की अच्छी पैदावार लेने के लिए यह आवश्यक है कि खेत की मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। औसत उपज में संकर किस्मों के लिए 6 टन गोबर की खाद तथा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम पोटाश तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ देनी चाहिए। गोबर की खाद को 10-20 दिन पहले खेत तैयार करते समय डालें। पूरी फास्फोरस तथा पोटाश व एक-तिहाई नाइट्रोजन बुवाई के समय दें। एक-तिहाई नाइट्रोजन पौधे घुटने तक उग आने पर खड़ी फसल में तथा एक-तिहाई झण्डे आने के कुछ पहले दें।

निराई, गुड़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण : स्वीट कॉर्न की पहली गुड़ाई बुवाई के 15 दिन बाद तथा दूसरी गुड़ाई बुवाई के 25-30 दिन बाद करें। इसके अतिरिक्त रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 400 से 600 ग्राम एट्राजिन (50 प्रतिशत घुलनशील पाऊडर) प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर पानी में मिला कर बुवाई के तुरन्त बाद छिड़कने से की जा सकती है। रेतीली ज़मीन में खरपतवार-नाशकों का कम प्रयोग तथा चिकनी या भारी मिट्टी में अधिक मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई के 15 दिन बाद तक भी उतनी ही मात्रा का प्रयोग कर सकते है।

जल प्रबंधन : स्वीट कॉर्न की अधिक पैदावार लेने के लिए जल का उचित प्रबंधन आवश्यक है। आमतौर पर 5-6 सिंचाईयों की आवश्यकता होती है। स्वीट कॉर्न में फूल आने तथा दाना बनने की अवस्था में उचित नमी का होना आवश्यक है, नहीं तो दानों का विकास अच्छा नहीं होगा तथा सुक्रोज की मात्रा भी घट जाती है। फसल के झण्डे आने के समय भी खेत में उचित नमी का होना आवश्यक है। उस समय सिंचाई ज़रुर करनी चाहिए।

फसल की कटाई : फसल की उचित समय पर कटाई करने पर ही उचित मूल्य मिलता है। स्वीट कॉर्न में सिल्क निकलने के 18-20 दिन बाद जब कॉर्न में दाने पूरे भर जाते हैं और दाने कड़े ना हों, उस समय इसको काट लिया जाता है। भुट्टों को पौधे से तोड़ कर छिलके सहित जल्द से जल्द मण्डी में भेज देना चाहिए। अगर कुछ समय रोकना पड़े तो सुबह के समय कटाई करके कम तापमान पर रखा जा सकता है।

आर्थिक लाभ : सोनीपत क्षेत्र में किसान स्वीट कॉर्न से 1 रुपए के खर्च पर 10-12 रुपए लाभ कमा लेते हैं। स्वीट कॉर्न का भुट्टा 5 से 10 रुपए तक बिक जाता है। एक एकड़ में खर्चा 20,000 रुपए तक हो जाता है, जबकि शुद्ध लाभ 50,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए प्रति एकड़ तक मिल जाता है, जो बुवाई के समय तथा बाज़ार के भाव से प्रभावित होता है।

स्वीर्ट कॉर्न को तोड़ने के बाद इससे प्राप्त हरे चारे को पशुओं के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा इसे मण्डी में चारे के रूप में बेचा भी जा सकता है। इसका हरा चारा अधिक सुपाच्य तथा पौष्टिक होता है। इस प्रकार किसान हरे चारे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को अन्य उपयोग में ला सकते हैं।

किसी भी रासायनिक और माइक्रोबियल अवशेषों के बिना सुरक्षित पोल्ट्री उत्पादन समय की मांग है। इसलिए जैविक पोल्ट्री उत्पादन अधिक जोर देने से हम पोल्ट्री कल्याण से समझौता किए बिना सुरक्षित पोल्ट्री उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं। जैविक पोल्ट्री उत्पादन का यह दृष्टिकोण उपभोक्ताओं को बेहतर स्वास्थ्य देने और रोगमुक्त पर्यावरण करने की दिशा में सही कदम है।

समय की मांग है

जैविक पोल्ट्री उत्पादन

बलविंदर सिंह ढिल्लों, ए.पी.एस. धालीवाल और जे.एस. बराड़, कृषि विज्ञान केन्द्र, बठिंडा

भारतीय अर्थव्यवस्था मे पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 20.5 मिलियन (2.05 करोड़) लोग अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। यह सभी परिवारों के लिए 14 प्रतिशत के मुकाबले छोटे परिवारों की आय में 16 प्रतिशत का योगदान देता है। यह ग्रामीण समुदाय के दो-तिहाई लोगों को आजीविका प्रदान करता है। पशुधन भारत में लगभग 8.8 प्रतिशत आबादी को रोजगार भी देता है। देश में कम और खराब उत्पादन प्रदर्शन के साथ विशाल पशुधन संसाधन है। यह क्षेत्र 4.11 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6 प्रतिशत योगदान देता है।

पोल्ट्री आवास और प्रबंधन: जैविक आवास और प्रबंधन पोल्ट्री के सभी सामान्य व्यवहार पैटर्न प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। यह पक्षियों के तनाव को कम करने में मददगार होता है। यूरोपीय और अमेरिकी देशों में कार्बनिक पोल्ट्री उत्पादन के लिए मोबाइल हाउस निश्चित आवास प्रणाली की तुलना में बहुत लोकप्रिय है। मोबाइल आवास का मुख्य लाभ यह है कि पक्षियों को ताजा घास के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि बाहरी क्षेत्र में मृदा से बने परजीवी का खतरा कम हो सके। मोबाइल हाउसिंग का एक बड़ा नुकसान यह है कि अन्य सभी उत्पादन सामग्री (यानी आहार, कूड़े की सामग्री और पानी इत्यादि) को घरों से ले जाने की आवश्यकता होती है, जिससे श्रम में काफी वृद्धि होती है और अंडे की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होती है। कुल मिलाकर मोबाइल आवास की लागत सीमित प्रणाली से अधिक होने की आशंका है। इसके अलावा, भारत में मोबाइल हाउसिंग सिस्टम का दायरा वित्तीय और क्षेत्रीय बाधाओं के कारण बहुत सीमित है।

आवास को इस तरह से निर्मित किया जाना चाहिए कि पक्षियों को शिकारियों से सुरक्षित रखा जा सके। पोल्ट्री शेड की नियमित सफाई महत्वपूर्ण है। प्रमाणित एजेंसियों द्वारा निर्धारित समय के अनुसार कृत्रिम प्रकाश का उपयोग किया जा सकता है। मुक्त सीमा प्रणाली में मांस उत्पादन की लागत, सीमित प्रणाली से भी अधिक है। कुक्कुट के पास बाहरी चराई वाले क्षेत्र, ताजा हवा, साफ पानी, संतुलित आहार, धूल स्नान सुविधाओं और खरोंच के लिए एक क्षेत्र तक आसानी से पहुंच होनी चाहिए। इसलिए पशु कल्याण को बढ़ाने के लिए जोर दिया जाता है। डी-बीकिंग और बीक ट्रिमिंग आमतौर पर निषिद्ध प्रथाएं होती हैं। कुछ प्रमाणित एजेंसियां अभी भी ऊपरी चोंच की 5 मिलीमीटर तक ट्रिमिंग और डी-बीकिंग की अनुमति देती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ट्रिमिंग पोल्ट्री पक्षियों में तनाव पैदा करती है, इसलिए आमतौर पर जैविक पोल्ट्री उत्पादन में इसे नहीं किया जाता है।

वैज्ञानिक रिकॉर्ड रखना: व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने की गतिविधियों में भविष्य के संदर्भ, मूल्यांकन और निगरानी रखना शामिल है। यह लेनेदारों, अन्य पशु संपत्ति मालिकों और अन्य लोगों को रिपोर्ट करने में सहायता करता है, जो पशुधन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में रुचि रखते हैं।

जैविक पोल्ट्री उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड प्रजनन रिकॉर्ड है जैसे खरीदे गए पक्षियों के स्रोत के लिए पंजीकरण, कार्बनिक आहार/राशन रिकॉर्ड तैयार करना, जैविक आहार खरीद रिकॉर्ड, पूरक आहार और सूची, जैविक पोल्ट्री चरागाह रिकॉर्ड, स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की सूची, स्वच्छता उत्पादों की सूची, जैविक अंडे पर मासिक झुंड रिकॉर्ड, जैविक मांस, पोल्ट्री झुंड रिकॉर्ड, मासिक जैविक अंडे पैकिंग और बिक्री रिकॉर्ड।

जैविक पोल्ट्री के प्रचार के लिए नीति हस्तक्षेप: जैविक खेती के समग्र उद्देश्यों के अनुसार जैविक पोल्ट्री क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए उपयुक्त आवश्यक नियमों को विकसित करना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विपणन, केंद्रीकृत पैकिंग, प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास और प्रसंस्करण अनुदान योजनाओं के लिए भविष्य में अवसर प्रदान करने चाहिए। सरकार जैविक मानकों की आवास और भंडारण दर आवश्यकताओं को अनुकूलित करने में पोल्ट्री उत्पादकों की सहायता के लिए पूंजी निवेश अनुदान कर सकती है।

भारत में जैविक पोल्ट्री उत्पादन राष्ट्ीय स्तर पर किसी भी औपचारिक मानकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानकों को छोड़कर नियंत्रित नहीं किया जाता है। सभी भारतीय उत्पादक जो अपने उत्पादों को जैविक पोल्ट्री के रूप में लेबल करना चाहते हैं, उन्हें आईएफओएएम (जैविक कृषि आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय संघ) मानकों का पालन करना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, जैविक पशुधन उत्पादन के लिए आईएफओएएम मानकों में अधिकांश राष्ट्रीय जैविक पशुधन मानकों को शामिल किया गया है। इन मानकों का एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के मसौदे पर कुछ प्रभाव पड़ा है। पोल्ट्री के लिए प्रसंस्करण और विपणन मानकों का विकास करना, इसमें कृषि के प्रकार से संबंधित संकेतों के वैकल्पिक उपयोग सहित विशेष रूप से व्यापक इनडोर (बार्न-रीयर), फ्री-रेंज, पारंपरिक फ्री-रेंज और फ्री-रेंज शामिल हैं।

गहन प्रबंधित कार्बनिक उत्पादन में प्रयुक्त पोल्ट्री के लिए सबसे आम प्रणालियों में पर्यावरणीय प्रभावों (एन लीचिंग और अमोनिया वाष्पशीलता का जोखिम), पशु कल्याण, पोल्ट्री वर्कलोड और प्रबंधन में उच्च मृत्यु दर के संबंध में कुछ कमियां हैं। उन प्रणालियों की तलाश करने की आवश्यकता है, जहां आउटडोर, फ्री-रेंज सिस्टम (पशुधन के लिए) का निर्माण और प्रबंधन किया जाता है जिससे पशुधन एक ही समय में कृषि प्रणालियों के अन्य हिस्सों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

जैविक उत्पादों के साथ फ्री-रेंज सिस्टम उत्पादकों यानी जैविक अंडा और मांस के लिए बहुत उपयोगी है। इन उत्पादों की कीमतों और कमाई की पर्याप्त राशि के साथ विश्वव्यापी मान्यता आवश्यक है, हालांकि जैविक खेती में उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, परंतु इसका अधिकांश भाग उच्च लागत की भरपाई करता है।

पोल्ट्री का महत्व: भारत में उत्पादित कुल अंडों में लगभग 94 प्रतिशत का मुर्गियों द्वारा योगदान दिया जाता है, जबकि शेष 6 प्रतिशत समान रूप से बत्तख और अन्य पोल्ट्री द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। पोल्ट्री सेक्टर ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, परिवार की आय बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों मे भूमिहीन मजदूरों, छोटे, सीमांत किसानों और महिलाओं के बीच विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दिन-प्रतिदिन, उपभेक्ताओं को उनके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता के बारे में अधिक जानकारी हो रही है। आम लोगों की क्रय शक्ति लगातार बढ़ रही है इसलिए वे अधिक भुगतान करने के लिए परेशान हुए बिना सुरक्षित उत्पाद का उपभोग करने में रुचि रखते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल और रोग निदान: उपयुक्त प्रबंधन प्रथाओं को पक्षियों के कल्याण के लिए निर्देशित किया जाता है। इससे कई प्रकार के संक्रमणों को रोका जाता है। रोगी और घायल पक्षियों को तत्काल और पर्याप्त उपचार दिया जाना चाहिए। जब पक्षियों में रोग होता है, तो कारण को ढूंढने, खत्म करने और प्रबंधन प्रथाओं को बदलकर भविष्य में रोग होने से रोकना चाहिए। एंटीबायोटिक का उपयोग न करके टीकाकरण केवल तब किया जाना चाहिए जब रोगों की जानकारी हो या क्षेत्र में समस्या होने की

शेष पृष्ठ 8 पर

आम तथा अमरूद के हानिकारक रोग, कीट, कार्यिक विक्षोभ एवं उनका प्रबंधन

मदनलाल मेघवाल, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उन पर होने वाले कीट व व्याधियों का नियंत्रण उचित समय व उचित तरीके से किया जाए। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम में स्वाद के अतिरिक्त पौष्टिक तत्व भी होते है। इसमें विटामिन ए और सी भरपूर मिलते है। आम का प्रयोग कई तरह से होता है। खाने में चटनी में, आचार में, अमचूर बनाने में आदि। इसमें अनेक कीट एवं व्याधियों द्वारा नुकसान होता है जिनका समय प्रबंधन आवश्यक है।

आम की प्रमुख व्याधियाँ एवं उनका प्रबंधन

चूर्णिल आसिता (पाउडरी मिल्ड्यू): मंजरियों और नई पत्तिया पर सफेद या धूसर चूर्णिल वृद्धि दिखाई पड़ती है। रोग का संक्रमण मंजरियों की शिखा से प्रारंभ होकर नीचे की ओर पुष्प अक्ष, नई पत्तियों और पतली शाखाओं पर फैल जाता है। इसमें प्रभावित भागों की वृद्धि रूक जाती है। पुष्प और पत्तियां गिर जाती है। यदि संतुलन के पूर्व फल लग गए हों तो वे अपरिपक्व अवस्था में ही गिर जाते है। राजस्थान में यह रोग अन्य आम उत्पादक क्षेत्रों की अपेक्षा कम लगता है।

प्रबंधन: रोकथाम के लिए 0.05 से 0.1 प्रतिशत कैराथेन, 0.1 प्रतिशत कार्बेण्डाजिम या 0.1 प्रतिशत बेनोमिल नामक कवकनाशी दवाओं का पहला छिड़काव जनवरी, दूसरा फरवरी के प्रारंभ में और तीसरा फरवरी के अंत में करना चाहिए।

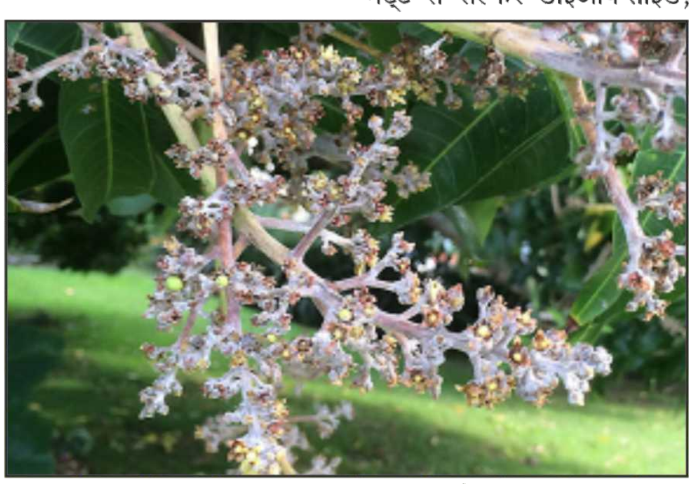

एन्थ्रकनोज/श्यामवर्ण: श्यामवर्ण रोग से प्रभावित पत्तियों पर भूरे या काले गोल या अनियमिताकार के धब्बे पाए जाते है। पत्तियों की वृद्धि रूक जाती है और वे सिकुड़ जाती है। कभी-कभी रोगजनक उत्तर सूखकर गिर जाते है जिससे पत्तियों ने छिद्र दिखाई पड़ते है। उग्र संक्रमण में रोग पत्तियां गिर जाती है। यह रोग मंजरी अंगमारी तथा फल सड़न के रूप में प्रकट होता है।

प्रबंधन : कॉपर ऑक्सी-क्लोराइड 3 ग्राम या मेन्कोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। रोगग्रसित भागों की कटाई कर सफाई करें तथा जलाकर नष्ट कर दें।

बैक्टीरियल कैंकर: साफ-सफाई तथा संक्रमित फलों, पत्तियों और टहनियों को जला कर नष्ट कर दें। स्ट्रेप्टोसाइक्लीन 1 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी के घोल के तीन छिड़काव 10 के अंतराल पर करें या अधिक प्रकोप स्टेप्टोसाइक्लीन 4.5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3 ग्राम मिलाकर छिड़काव करें।

कार्यिकी विक्षोप (दैहिक व्याधियाँ): माथा बंधना (मॉलरफोरमेशन)- रोग का प्रकोप कम करने के लिए रोगग्रस्त भाग को काटकर नष्ट कर दें। अक्तूबर माह में नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड (प्लेनोफिक्स) 3 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। केप्टान 2 ग्राम अथवा कार्बेण्डाजिम एक ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इसके साथ पेड़ों पर मिथाइल डिमेटोन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

फल के सिरे पर काला दाग बनना (ब्लैक टिप): यह बीमारी अधिकतर ईटों के भट्टे के आस-पास अधिक होती है। भट्टे से सल्फर डाईऑक्साइड, एथिलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती है। जिससे फल के निचले सिरे पर पहले भूरा, बाद में काला दाग पड़ जाता है। इससे फल की वृद्धि नहीं हो पाती और फल परिपक्व होने से पहले ही गिर जाते है। ईट के भट्टों से 250 मीटर दूरी तक के आसपास के आम के बाग इन गैसों से प्रभावित होते है।

प्रबंधन: इस बीमारी की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि ईट के भट्टे बाग के करीब आधा से एक मील की दूरी हों। कास्टिक सोडा (0.8 प्रतिशत) के दो बार छिड़काव से भी बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। ये छिड़काव मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के तीसरे सप्ताह के बीच होने चाहिए। कास्टिक सोडे के स्थान पर बोरेक्स छिड़काव भी लाभकारी पाया जाता है।

आम फलों में स्पंजी उत्तक बनना: इस बीमारी से ग्रस्त फल बाहर से स्वस्थ दिखाई देते है परन्तु गूदे का कुछ भाग स्पंज का रूप ले लेता है जिससे फल खाने लायक नहीं रह जाता है।

प्रभावित भाग में रिक्त स्थान बन जाता है। यह विकिरण के ताप के प्रभाव से होता है। इसकी रोकथाम हेतु 3/4 परिपक्वता कर लेने वाले फलों को तोड़ लेना चाहिए। इस अवस्था में तोड़ने से स्पंजी चउत्तक का प्रकोप काफी कम हो जाता है।

पेड़ों तथा पौधों में पत्तियाँ झुलसना: प्रारंभ में पत्तियों का अगला भाग ईट के रंग की तरह लाल हो जाता है और ऐसा मालूम होता है कि पत्तियां झुलस रही हैं तथा यह बढ़ते-बढ़ते पत्तियों में पोटाश का स्तर नीचा हो जाता है। अभी इसकी रोकथाम के कारणों पर अनुसंधान जारी है। गिरी हुई पत्तियों को पेड़ के नीचे से हटा देना चाहिए तथा पोटेशियम क्लोराइड नामक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सिंचाई के जल में क्लोराइड का अंश कम होना चाहिए।

आम के प्रमुख हानिकारक कीट एवं उनका प्रबंधनः

आम का फुदका (हापर) भुनगा: यह कीट आम को काफी नुकसान पहुंचाता है। यह फरवरी-मार्च में अधिक सक्रिय होता है तथा कोमल पत्तियों, फूलों एवं फलों से रस चूसता है तथा पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिससे प्रकाश की क्रिया भी प्रभावित होती है एवं फलों की पैदावार कम हो जाती है।

नियंत्रण: इस कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 0.075 प्रतिशत या कार्बरिल 0.2 प्रतिशत या क्यूनोलाफॉस 0.06 प्रतिशत या क्लोरोपायरीफॉस 0. 04 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए।

मिलीबग: नवम्बर-दिसम्बर में यह कीट पत्तियों के फूलों से रस चूसती है व पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिसके कवक लग जता है।

नियंत्रण: कीट को पेड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए नवम्बर माह में एलकाथिन (400 मेज) को 30-40 वर्ग सैंटीमीटर चौड़ी पट्टी जमीन से 60 सैंटीमीटर की ऊंचाई पर तने के चारों और लगायें तथा इसके नीचे 15-20 सैंटीमीटर भाग तक ग्रीस का लेप कर दें। यदि पेड़ पर कीट चढ़ गए हो तो मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल. या प्रोफेनोफॉस 25 ई.सी. या मिथाइल पैरोथयॉन 50 ई.सी का छिड़काव करें।

आम की फल मक्खी: यह परिपक्व फलों में छिलके के नीचे अंडे देती है। इसके मैगट नीचे सुरंगें बनाकर गुदे को खा जाते है बाद में फल गिर जाता है व खाने योग्य नहीं रहता।

नियंत्रण: प्रभावित फलों को इक्ट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। डेल्टामेथ्रिन 0.002 प्रतिशत का 15 दिन के अंतराल पर तीन बार छिड़काव करें। फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग करें, नवम्बर- दिसम्बर में अंडों को नष्ट कर दें।

शाखा भेदक कीट: इस कीट की सूडियां नये प्ररोही को हानि पहुंचाती है। वयस्क कीट पत्तियों पर अंडे देते हैं। अंडों से सूंडियां निकलकर मध्य प्ररोह में घुस कर अंत में शाखा के ऊपर से नीचे की ओर छेद करना शुरू करती है और 10 से 15 सैंटीमीटर तक छेद कर देती है। ग्रसित शाखा मुरझा कर अंत में सूख जाती है।

प्रबंधन: प्रभावित प्ररोहों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर कार्बोरिल 1.25 किलो ट्राईजोफॉस 600 मिलीलीटर का छिड़काव करना चाहिए। नई पत्तियों तथा शाखाओं के निकलने के समय ही पहला छिड़काव करना चाहिए।

स्टोन वीविल: यह कीट फल के अंदर प्रवेश कर कठोर भाग को खाता है एवं फल को खराब कर देता है इससे आग को निर्यात से सबसे ज्यादा नुकसान होता है।

नियंत्रण: डेल्टामेथ्रिन 0.003 प्रतिशत का छिड़काव बहुत प्रभावकारी है। फलों को गर्म पानी में डालना भी लाभदायक सिद्ध हुआ है।

छल भक्षक कीट: यह कीट पुराने एवं घने बागों में अधिक क्षति पहुंचाता है। इस कीट से प्रभावित पेड़ों के तनों और टहनियों पर लंबे-लंबे जाले से दिखाई देते है जो कीड़े द्वारा विसर्जित मल एवं खाई हुई छाल के टुकड़ों से मिलकर बने होते है। इस कीट की सूंडी अप्रैल से दिसम्बर तक क्षति पहुंचाती है। सूंडियां पेड़ की छाल को खाती है तथा तने के टहनियों मे जगह-जगह छेद कर अंदर घुस जाती है, टहनियों एवं तनों में जगह-जगह छाल खाये जाने एवं छेद होने के कारण अन्य दूसरे रोगाणुओं का भी प्रकोप होने पर भय रहता है।

प्रबंधन: * तना भेदक कीट के संतुष्ट तरीके प्रयोग में लाए।
* मोनोक्रोटोफॉस (0.05 प्रतिशत) या डी.डी.वी.पी. का घोल छिद्र में डालकर छिद्र को मिट्टी से बंद कर दें।

अमरूद के रोगः

अमरूद की म्लानि: रोकथाम के लिए मृदा उपचार, रोग के फैलाव को रोक सकता है। जिन पेड़ों में रोग लग गया हो उसे निकालकर गला देना चाहिए। रोगी पेड़ों को निकालने के बाद गड्ढे की मिट्टी को 3 ग्राम थायरम कवक नाशक दवा को एक लीटर पानी में घोल (लगभग 30 लीटर प्रति गड्ढा) उपचारित करना चाहिए।

तना कैंकर रोग: नियंत्रण के लए 2.3 ग्राम इन्डोथेन एम. -45 को एक लीटर पानी से घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए।

अमरूद का तना बेधक, छालभक्षी इल्ली तथा स्केल कीट: नियंत्रण के लिए एक मिलीलीटर मैलाथियान या नुवान को एक लीटर पानी में घोलकर पेड़ पर 2-3 छिड़काव दिन के अंदर करना चाहिए।

अमरूद के कीट एवं उसके प्रबंधन : फल मक्खी: वर्षा के दिनों में मक्खी फल के अंदर अंडे देती है जिससे बाद में लटें पैदा होकर अंदर के गूदे को खाने लग जाती है।

नियंत्रण:
* प्रभावित फलों को इक्ट्ठा कर भूमि में गहरा गाड देना चाहिए।
* पेट्रोल या क्लोरोफार्म से रूई भिगोकर छिद्र में ठूस कर चिकनी मिट्टी से बंद कर दें।
* लोहे के तार से कीट को छिद्र में ही मार दें।

नियंत्रण : * मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल. या डायमोयोएट 30 ई.सी.या मिथाइल पेराथियॉन 50 ई.सी. का छिड़काव करें।
* कीट को पेड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए एल्काथिन (400 गेंज) की चौड़ी पट्टी तने पर चारों और लगायें। नीचे के भाग पर ग्रीस लगाये।

कैंसर से बचाव के साथ ही दिल को हैल्दी रखता है हरा प्याज़

सर्दियों में हरा प्याज़ बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। सिर्फ हरे प्याज़ व आलू को मिला कर बनाई गई, इस सब्ज़ी का स्वाद ऐसा होता है कि बच्चे भी इसे आसानी से खा लेते हैं। कोशिश करें कि आप इस प्याज़ को अपने खाने का हिस्सा ज़रुर बनाते रहें क्योंकि यह कैंसर से बचाव के साथ ही दिल को हैल्दी रखने में मदद करता है।

हरे प्याज़ में मौजूद एंटी ऑक्सिडैंट्स गुण, डी.एन.ए. और सैल्स के टिश्यू को होने वाले नुकसान को रोकता है। वहीं इसमें मौजूद विटामिन 'सी' कोलैस्ट्रॉल और ब्लड शूगर के स्तर को कम करता है, जो दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है। हरे प्याज़ में एलिल सल्फाइड नाम का शक्तिशाली सल्फर कम्पाऊंड होता है, जो कोलोन कैंसर को रोकने में मदद करता है। इसके फ्लेवोनोइड्स तत्व जैन्थीन ऑक्सीडेस एन्ज़ाइम का शरीर में उत्पादन करते हैं, जो डी.एन.ए. और सैल्स को होने वाले नुकसान को रोकते हैं। हरे प्याज़ में विटामिन 'सी' और 'के' होते हैं, जो हड्डियों को सुचारू रूप से काम करने में मददगार होते हैं। विटामिन 'सी' जहां हड्डियों में मौजूद कोलेजन को बढ़ाते हुए उन्हें मज़बूत बना देता है, वहीं विटामिन 'के' से बोन डैन्सिटी (हड्डियों की संघनता) को बनाए रखने में मदद मिलती है, जो हड्डियों को मज़बूती देता है। एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल प्रॉपर्टीज वाला हरा प्याज़ फ्लू, इन्फैक्शन और वायरल के वायरस से शरीर का बचाव करता है। यह शरीर के सांस के तंत्र को भी स्वस्थ रखता है।

आंखों को रखें हैल्दी, शूगर लैवल करें कम

स्टडीज़ में यह साबित हुआ है कि हरे प्याज़ में ल्यूटिन और जेक्सैथीन जैसे कारोटेनोइड होते हैं, जो आंखों को स्वस्थ रखने और उन्हें नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। यही खासियत नज़र को सुधारने में मदद करने के साथ ही उसे बिगड़ने से रोकने में भी मदद करती है। इतना ही नहीं हरे प्याज़ के सल्फर कम्पाऊंड शरीर के ब्लड शूगर लैवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये इंसुलिन स्तर को बढ़ाते हुए ब्लड से शरीर सैल्स तक शूगर बेहतर तरीके से पहुंचा कर यह नतीजे देते हैं।

शेष पृष्ठ 6 की

समय की मांग है — जैविक पोल्ट्री उत्पादन

उम्मीद हो और इन रोगों को अन्य प्रबंधन तकनीकों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। होम्योपैथी ओर आयुर्वेदिक सहित प्राकृतिक दवाओं और विधियों के उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। गर्म

और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, कोसिडियोसिस और परजीवी समस्याएं अधिक हैं। ये प्रबंधन प्रणालियां प्रजातियों के विशिष्ट आहार में पोल्ट्री पहुंच प्रदान करके अच्छी वेंटिलेशन के साथ आवास की स्थिति और स्वच्छ चराई प्रणाली और शुष्क कूड़े के निपटान के साथ प्राकृतिक व्यवहार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त जगह भी इन सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है।

पोल्ट्री आहार विकल्पः पोल्ट्री पक्षियों को अच्छी गुणवत्ता का 100 प्रतिशत जैविक से उगाया जाने वाला आहार खिलाया जाना चाहिए। अवयवों को कार्बनिक के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। आहार के 5 प्रतिशत तक विटामिन और खनिज की खुराक को छोड़कर, पोल्ट्री पक्षियों को आहार एक ऐसे रूप में दिया जाना चाहिए जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक भोजन व्यवहार और पाचन आवश्यकताओं को निष्पादित करने की अनुमति दें। मुर्गियों के पाचन तंत्र को चारे क बजाय कीड़े, बीज और आनाज को संभालने के लिए बनाया गया है, इसलिए यदि पक्षियों का आवश्यक स्तर पर व्यवस्थित रूप से पालन किया जाता है, तो इन्हें केंद्रित संतुलित आहार देने की आवश्यकता होती है। किसी जैविक पोल्ट्री आहार का सबसे बड़ा घटक आनाज (मक्का) है। उच्च गुणवत्ता वाले तत्व विशेष रूप से फलियां आहार पूरक हो सकती हैं। मटर, सेम और सरसों तथा घरेलू प्रोटीन स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में मटर, जैविक आहार फॉर्मूलेशन की ओर अधिक गुंजाइश प्रदान करते है। उन्हें मुर्गी पालन में टेबल चिकन के लिए 250 से 300 ग्राम प्रति किलाग्राम और 150 से 200 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीच शामिल किया जा सकता है। मछली के तेल का प्रयोग आहार में कार्बनिक राशन के रूप में किया जा सकता है और पूर्ण वसा सोया की तुलना में यह आवश्यक अमीनो अम्मल है। पोल्ट्री राशन में इसका उपयोग सीमित है। अंकुरित आनाज विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। सिंथेटिक अमीनो अम्ल को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। चूना पत्थर और फॉस्फेट चट्टान का जैविक राशन के लिए खनिज स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। परतों के लिए चूना चूना पत्थर ग्रिट और ऑयस्टर खोल अंडे के उत्पादन के लिए आवश्यक कैल्शियम प्रदान करता है। आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता कार्बनिक सोयाबीन, स्किम दूध पाउडर, आलू प्रोटीन, मक्का ग्लूटन आदि के आहार के माध्यम से पूरी की जासकती है। पक्षियों को बिना किसी एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोलॉजिकल अवशेषों के गुणवत्ता वाले पानी की निरंतर पहुंच और आपूर्ति होनी चाहिए।

शेष पृष्ठ 3 की

गेहूं में खरपतवारों की रोकथाम की विधियां

पानी में घोल कर स्प्रे करने से उगते हुए खरपतवारों का नाश किया जा सकता है। पैन्डीमैथालिन से शुरूआती पहले फसल की मंडूसी व बाथू का नियंत्रण किया जा सकता है।

पोस्ट एमरजेन्स खरपतवार-नाशी : गेहूं में पोस्ट एमरजेन्स खरपतवारनाशी का प्रयोग पहली सिंचाई (बुवाई के 21 दिन) के 7-10 दिन बाद जब खेतों में पैर

टिकने लगे और खरपतवार 2-4 पत्ती अवस्था में हों, तभी किया जाता है। क्लोडीनाफोप तो पत्तियों द्वारा ही सोखा जाता है। इसलिए स्प्रे के समय गेहूं की फसल में खरपतवार 2-4 पत्ती अवस्था में होने से ही स्प्रे का लाभ मिलता है। प्रायः यह भी देखा गया है कि गेहूं की इस अवस्था में तापमान बहुत कम होता है। कम तापमान में खरपतवार पत्ते खरपतवारनाशी को अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता नहीं रखते, जिस कारण खरपतवारनाशी का लाभ नहीं मिलता।

गेहूं में खरपतवारनाशियों का प्रयोग :

खरपतवारनाशी का वैज्ञानिक नाम/खरपतवारनाशी का व्यापारिक नाम / उत्पाद / हैक्टेयर / प्रयोग का समय / दिन बाद / खरपतवार प्रकार के लिए सिफारिश

मैटस्लफ्यूरोन मिथाइल / एलग्रिप / 20 ग्राम / बुवाई के 35-40 / चौड़ी पत्ती

पैन्डीमेथिलिन / स्टॉम्प / 3 लीटर / बुवाई के तुरन्त बाद / चौड़ी पत्ती व घास जाति

सल्फोसल्फ्यूरॉन / लीडर / फतेह / 33 ग्राम / बुवाई के 35-40 / चौड़ी पत्ती व घास जाति

कारफेट्राजोन / ऐम / 50 ग्राम / बुवाई के 35-40 / चौड़ी पत्ती

क्लोडीनोफोप / टोपिक / 400 ग्राम / बुवाई के 35-40 / घास कुल

पिनोक्सोप्रोम / प्यूमासुपर / 1000 ग्राम / बुवाई के 35-40 / घास व चौड़ी पत्ती

पीनोक्साडीम / एक्सिल / 1000 ग्राम / बुवाई के 35-40 / घास कुल

गेहूं में खरपतवार प्रबंधन :

खरपतवारनाशी / मात्रा / टिप्पणी

मंडूसी - क्लोडीनोफोप (टॉपिक) / 400 ग्राम, पैन्डीमेथालिन (स्टॉम्प), 3330 ग्राम / 35-40 दिन पश्चात् / बुवाई के एक दिन बाद

बाथू - पैन्डीमेथालिन (स्टॉम्प) 3330 ग्राम

मेटसलफ्यूरॉन मिथाइल / 20 ग्राम बुवाई के एक दिन बाद

जंगली जई - कारफेट्राजोन (ऐम) 50 ग्राम / बुवाई के 30-35 दिन पश्चात्

जंगली पालक - मेटसलफ्यूरॉन मिथाइल 20 ग्राम / 30-35 दिन पश्चात्

गोभी घास (मालवा पखीफलोरा) - कारफेट्राजोन (एम) 50 ग्राम / 30-35 दिन पश्चात्

कंडेली - मेटसलफ्यूरॉन इथाइल (एलग्रिप) 20 ग्राम और कारफेट्राजोन (ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात्

हिरणखुरी - मेटसलफ्यूरॉन इथाइल (एलग्रिप) 20 ग्राम और कारफेट्राजोन (ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात्

मटरी (जंगली मटर) - मेटसलफ्यूरॉन इथाइल (एलग्रिप) 20 ग्राम और कारफेट्राजोन (ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात्

दूधी - कारफेट्राजोन (ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात्

पीट पापड़ा (कोरनोपस डीडेमस) - मेटसलफ्यूरॉन इथाइल (एलग्रिप) 20 ग्राम, कारफेट्राजोन (ऐम) 50 ग्राम, 30-35 दिन पश्चात्

रासायनिक खरपतवार प्रबंधन के लिए कुछ ध्यान योग्य बातें :

1. खरपतवार के प्रकार व संख्या को ध्यान में रख कर खरपतवारनाशी का चुनाव करें।

2. स्थिति का मूल्यांकन करें। खरपतवार व फसल की अवस्था का ध्यान करें। रासायनिक खरपतवारनाशी (उगने से पहले या उगने के बाद का) प्रयोग करें, जब मिट्टी में नमी हो।

3. खरपतवार उगने के बाद के (पोस्ट एमरजेन्स) के खरपतवारनाशी का प्रयोग तभी करें, जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती अवस्था में हो। खरपतवारनाशी का प्रयोग करते समय फ्लैट फैन नोज़ल का प्रयोग करें।

4. खरपतवार उगने के बाद खरपतवारनाशी (पोस्ट एमरजेन्स) को रेत, यूरिया या मिट्टी के साथ ना मिलाएं।

5. सल्फोसल्फ्यूरॉन को मिश्रित फसल जैसे गेहूं, सरसों या गेहूं अन्य फसलों में प्रयोग ना करें।

6. खरपतवारनाशी चक्र का अनुसरण करें, ताकि खरपतवारों की प्रतिरोधी क्षमता विकसित ना हो सके।

7. मंडूसी की रोकथाम के लिए स्प्रे किए गए खरपतवारनाशी से घास कुल जाति के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है, परन्तु चौड़ी पत्ती के खरपतवारों जैसे जंगली पालक, मालवा या दूधी जैसे खरपतवारों में बढ़ोत्तरी हो रही है।

8. मिश्रित खरपतवारों के नियंत्रण के लिए पीनोक्साडीम + कारफेट्राजोन 1000 + 50 ग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई के 35-40 दिन पश्चात् स्प्रे करें।

जड़ वाली सब्ज़ियों की काश्त : कीटों व बीमारियों से बचाव

सब्ज़ियों में जड़ वाली सब्ज़ियां अपना विशेष स्थान रखती हैं। खासकर सर्दी के मौसम में किसान इनसे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जड़ वाली सब्ज़ियों में गाजर, मूली व शलगम अपने औषधिक गुणों के लिए जानी जाती हैं। इन्हें किसान बाज़ार की मांग के हिसाब से तोड़ कर या जूस व आचार आदि बना कर अधिक मुनाफा ले सकते हैं। आइये जानें कि इन सब्ज़ियों की काश्त व बचाव कैसे करें।

गाजर : गाजर के लिए पूसा केसर, हिसार गैरिक, नैन्टीस आदि किस्में का उपयोग कर सकते हैं। ये किस्में अच्छी पैदावार देने वाली हैं और इनकी औसत पैदावार लगभग 100-110 क्विंटल प्रति एकड़ है।

मूली : मूली के लिए हिसार स्वेती, जापानी व्हाईट, पूसा चेतकी व पंजाब सफेद आदि किस्मों का इस्तेमाल कर अच्छी उपज ले सकते हैं। ये किस्में 40-45 दिन में तैयार हो जाती हैं और

लगभग 60-120 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार ली जा सकती है।

शलगम : जो किसान भाई शलगम की खेती करना चाहते है, वे व्हाईट और पर्पल टॉप व्हाईट ग्लोब आदि किस्में प्रयोग कर सकते है। इनकी औसत पैदावार 80-90 क्विंटल प्रति एकड़ है।

भूमि को तैयार करना : गोबर की खाद को खेत तैयार करते समय ही खेत में अच्छे से मिला दें। खेत को 2-3 बार गहरा जोतें व पाटा लगाएं। इस प्रकार करने से खेत में उचित नमी बनी रहती है। अगर खेत समतल नहीं है, तो इसे भी बुवाई से पहले समतल कर लेना चाहिए।

बुवाई का उचित तरीका : देसी किस्मों के लिए : गाजर - मध्य सितंबर, मूली - अगस्त से सितंबर एवं शलगम - अगस्त से सितंबर।

यूरोपियन किस्मों के लिए : इन किस्मों की बुवाई ठंडे मौसम में करनी चाहिए। इनके लिए बुवाई का उचित समय अक्तूबर से सितंबर तक है।

बीज की मात्रा : गाजर के लिए 4-5 किलोग्राम प्रति एकड़, मूली के लिए 3 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं शलगम के लिए 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त रहेगा।

बीजने की विधि : जड़ वाली सब्ज़ियों को हल्की डोलियों पर बोना चाहिए ताकि अधिक उपज के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता वाली जड़ें भी प्राप्त हो सकें। डोलियों के बीच की दूरी 30-45 सैंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 6-8 सैंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को डोलियों की चोटी पर 2-3 सैंटीमीटर गहरा डालना चाहिए।

खाद व उर्वरक प्रबंधन : खाद व उर्वरक हमेशा ज़मीन की जांच के बाद आवश्यकता अनुसार डालने चाहिए। सामान्य भूमि के लिए जड़ वाली सब्ज़ियों में 20 टन गोबर की खाद, जो अच्छे से सड़ी हुई हो को खेत की जुताई के समय डाल दें। प्रति एकड़ के हिसाब से 24 किलोग्राम नाइट्रोजन व 12 किलोग्राम फास्फोरस खेत

में बुवाई के समय डालें। गाजर में इनके साथ-साथ 12 किलोग्राम पोटाश की मात्रा अतिरिक्त डालें व नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई पर और शेष 3-4 सप्ताह बाद दें।

सिंचाई प्रबंधन : गाजर में 5-6 और मूली व शलगम में 3-4 बार पानी लगाना चाहिए। पानी लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी डोलियों के तीन-चौथाई भाग से ऊपर ना जाए।

खरपतवार नियंत्रण : खरपतवार को रोकने के लिए 2-3 बार निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार करें।

जड़ों की खुदाई : गाजर की देसी किस्मों को 100-130 दिन और यूरोपियन किस्मों को 60-70 दिनों बाद खोदना चाहिए। मूली की देसी किस्मों को 45-55 दिन और यूरोपियन किस्मों को 34-40 दिनों बाद करनी चाहिए। शलगम की 35-40 दिनों बाद खुदाई करनी चाहिए। जड़ों की खुदाई किस्मों और फसल की मौजूदा अवस्था पर भी निर्भर करती है।

हानिकारक कीट व बीमारियां :

चेपा : यह कीट मुख्यत: मूली की बीज वाली फसल में नुकसान करता है। इसके शिशु व प्रौढ़ पत्तियों व फलियों का रस चूसते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।

रोकथाम :

1. जिन शाखाओं पर इस कीट का आक्रमण दिखाई दे, उनको तोड़ कर नष्ट कर देना चाहिए।
2. मिथाइल डेमेटान 25 ई.सी. या डाइमेथोएट 30 ई.सी. को 250-400 लीटर पानी में मिला कर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।
3. अगर सिंगरों के लिए फसल लगाई है, तो 250-400 मिलीलीटर मैलाथियान 50 ई.सी. को 250-400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

आल्टरनेरिया ब्लाईट : पीले व भूरे रंग के धब्बों का पत्तों पर पाया जाना, इस रोग के होने का संकेत है। कभी-कभी धब्बों में धारियां भी पाई जाती हैं।

रोकथाम : 1. खरपतवारों को खेत में ना उगने दें, खेत की अच्छे से सफाई रखें।

2. इंडोफिल एम-45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड-50 की 400 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव 10-12 दिन के अंतर पर करना चाहिए।

राज्य स्तरीय किसान मेले में कृषि मंत्री ने की शिरकत

देसी गाय पालें व प्राकृतिक खेती को अपनाएं किसान : श्याम सिंह

प्राकृतिक खेती भारत की प्राचीन और पारंपरिक कृषि पद्धति है, जिसे अपनाकर हम न केवल स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक रोगमुक्त भविष्य दे सकते हैं। हरियाणा के कृषि, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने को अनाज मंडी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय किसान मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर यह जानकारी दी। उन्होंने आह्वान किया कि किसान कम से कम एक एकड़ भूमि से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें और रसायनों के चंगुल से धरती को मुक्त कराएं।

देसी गाय पर 30 हजार की सब्सिडी और मंडियों का विस्तार

कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती में देसी गाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार प्रत्येक देसी गाय की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही, प्राकृतिक उत्पादों की सुगम बिक्री के लिए गुरुग्राम और हिसार में विशेष मंडियों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने साल 2025-26 तक प्रदेश की एक लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण से संबंधित व्यवस्था की मंत्री ने किसानों को जानकारी दी, प्राकृतिक खेती अपनाने वालों को 10 हजार रुपये (4 हजार रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 2.5 एकड़ तक) की वित्तीय सहायता दी जा रही है। जीवामृत तैयार करने के लिए ड्रमों पर 3 हजार रुपये की सब्सिडी और कुरुक्षेत्र स्थित गुरुकुल में तीन दिवसीय नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने किसानों से ब्लॉक स्तर पर इसके लिए पंजीकरण कराने की अपील की।

अधिकारियों को निर्देश और समस्याओं का निपटारा

मेले के दौरान कृषि मंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रगतिशील किसानों व बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की हर जनहितकारी योजना की जानकारी अंतिम किसान तक पहुंचनी चाहिए। कार्यक्रम के बाद, उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और पपलोथा गांव में बेगना व मारकंडा नदी के जलभराव की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को खोदाई और बांध मजबूत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व विधायक संतोष चौहान सारवान, डॉ. पवन सैनी, एसडीएम विनेश कुमार, कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. जसविंद्र सिंह सैनी, एसडीओ आशीमा बंसल सहित कई गणमान्य और किसान मौजूद रहे।

शीतलहर से फसलों को खतरा, कृषि वैज्ञानिक ने जारी की विस्तृत एडवाइजरी

उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बीच शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे रबी की फसलों के सामने गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। बदलते तापमान और नमी के कारण फसलों में कीटों एवं बीमारियों का प्रसार भी तेजी से हो सकता है। इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए), कानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर के वैज्ञानिक डॉ. खलील खान ने किसानों के लिए एक विस्तृत सलाह जारी की है।

डॉ. खान के अनुसार, सही समय पर उचित प्रबंधन करके ठंड के दुष्प्रभाव से फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने विभिन्न फसलों के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं।

गेहूं की फसल के लिए :

बुवाई के 20 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई अवश्य करें।

पत्तियों के पीलेपन (जिंक की कमी) के लक्षण दिखाई देने पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 16 किलोग्राम यूरिया को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर छिड़काव करें।

खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली सिंचाई के बाद उचित रसायनों का छिड़काव करें।

राई–सरसों की फसल के लिए :

नाइट्रोजन (यूरिया) की टॉप ड्रेसिंग करें।

मिट्टी में नमी कम होने पर हल्की सिंचाई कर दें।

लीफ माइनर कीट से बचाव के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए।

टमाटर व मिर्च की फसल के लिए :

वायरस रोग के प्रसार को रोकने के लिए 'डाइमेथोएट' या 'इमिडाक्लोप्रिड' (1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी) का छिड़काव प्रभावी रहता है।

चने की फसल के लिए :

कटुआ कीट के नियंत्रण हेतु 'क्लोरपाइरीफास 20% ईसी' (2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर) का छिड़काव करें।

खेत में सूखी घास के छोटे-छोटे ढेर रखें। दिन में कीट की सुंडियां इनमें छिप जाती हैं, जिन्हें सुबह इकट्ठा कर नष्ट किया जा सकता है।

डॉ. खान ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के नियमित अपडेट और कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर नजर बनाए रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय रहते कीट व रोग प्रबंधन और उचित सिंचाई प्रबंधन करके इस शीतलहर के दौरान भी फसलों को स्वस्थ रखा जा सकता है तथा पैदावार को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इस चुनौतीपूर्ण मौसम में सजगता और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर ही किसान अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

नाम बदलने की नीति व नीयत के सवाल

विश्वनाथ सचदेव

किसी योजना में बदलाव का मतलब यही नहीं होना चाहिए कि उससे राजनीतिक स्वार्थ की गंध आये। देश-विदेश में गांधी की मूर्तियों के सम्मुख सर झुकाने से नहीं, गांधी के दिखाये मार्ग पर चलने से बदलाव आयेगा। गांधी का नाम हटाने की मानसिकता गांधी को नकारने का ही संकेत देती है।

बचपन में दोस्तों के बीच बहस के दौरान हम अक्सर एक वाक्य बोला करते थे – 'अगर मेरी बात गलत सिद्ध हो तो मेरा नाम बदल देना'। हम नाम की दुहाई क्यों देते थे, पता नहीं, पर इतना अवश्य पता है कि हमारी मित्र-मंडली में नाम बदलने वाली इस बात का महत्व बहुत माना जाता था। नाम बदलने वाली यह बात आज अचानक 'मनरेगा' के नाम बदलने की सरकार की घोषणा के संदर्भ में याद आ रही है। याद यह भी आ रहा है कि अंग्रेजी के महान साहित्यकार शेक्सपियर ने कभी कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को कोई भी नाम दे दें, उसकी गंध तो नाम बदलने से नहीं बदलेगी'। शेक्सपियर की यह बात नाम के संदर्भ में अक्सर दुहराई जाती है। लेकिन यदि मामला 'मनरेगा' जैसी विकास योजना का हो तो बात सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं रह जाती, बात नाम बदलने की नीति से आगे बढ़कर नीयत तक पहुंच जाती है।

वर्ष 2005 में केन्द्र में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 'मनरेगा' नाम से एक योजना प्रारंभ की थी। 'मनरेगा' का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह योजना नागरिकों को काम के अधिकार को ष्टि में रख कर लागू की गयी थी, जिसमें किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को साल में कम से कम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की गारंटी थी। जब यह योजना लागू हुई तो इस पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे थे। फिर जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ने इसे 'कांग्रेस की विफलताओं का जीता-जागता स्मारक' कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि 'मै इसे बंद नहीं करूंगा। मेरी राजनीतिक सोच यह बताती है कि इसे कांग्रेस की विफलता के स्मारक के रूप में गाजे-बाजे के साथ बनाये रखना चाहिए'। सो, अपने ग्यारह साल के शासन में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे बनाये रखा। वस्तुत: यह एक जरूरत थी, और किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी जरूरत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मनरेगा की यह योजना कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है अथवा इसमें पहले कितना भ्रष्टाचार था और अब कितना भ्रष्टाचार है, यह मुद्दा अलग चर्चा का विषय हो सकता है। आज इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता सरकार की इस घोषणा से उत्पन्न हो गयी है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस योजना का नाम बदलना जरूरी हो गया है। सरकार ने निर्णय किया है कि अब इसे 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार' योजना कहा जायेगा संक्षेप में 'जी रामजी विधेयक'। नाम बदलने के अलावा और भी कुछ बदलाव इस योजना में किए जा रहे हैं।

बदलाव पृथक बहस का विषय है, आज जो विवाद चल रहा है, वह यह है कि इस जन-उपयोगी योजना के नाम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सरकार क्यों हटा रही है? इस संदर्भ में अब तक जो जवाब दिये जा रहे है, वे इस बात तक सीमित है कि आजादी के सौवें साल तक उन्नत भारत का सपना साकार करने के लिए ऐसा करना जरूरी है! कहा यह भी जा रहा है कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, महात्मा गांधी की जगह 'पूज्य बापू' का ही तो नाम दिया जा रहा है, फिर इसमें तो गांधी जी के आराध्य राम का नाम भी है। ऐसे में नाम बदलने से किसी को शिकायत क्यों होनी चाहिए?

शिकायत इसलिए है कि बात सिर्फ महात्मा गांधी की जगह बापू नाम करने तक ही सीमित नहीं है बात सरकार की नीयत की है। संसद में 'मनरेगा' की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 'राजनीतिक सूझ-बूझ' का भी हवाला दिया था। आज योजना का नाम बदलने के पीछे इस राजनीतिक सूझ-बूझ की बात नहीं कही जा रही है, पर आरोप भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर नाम बदलने वाली राजनीति का ही लग रहा है।

पिछले दस-बारह साल में नाम बदलने वाली इस राजनीति की अक्सर चर्चा होती रही है। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि उसकी योजनाओं के नाम बदलकर वर्तमान सरकार यश लूटना चाहती है। इस नीति पर भी चर्चा हो सकती है, पर आज आवश्यकता इस बात की है कि योजनाओं, जगहों, नगरों आदि के नाम बदलकर की जाने वाली राजनीति का औचित्य क्या है? पिछले दस-बारह साल की ही बात करें तो पता चलता है कि न जाने कितनी जगहों, सड़कों आदि के नाम बदलकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश होती रही है। और यह लाभ उठाने का काम सिर्फ भाजपा ही नहीं कर रही। अलग-अलग समय पर अलग-अलग सरकारें ऐसा करती रही है और अब तो जैसे यह परंपरा बन गयी है। राजधानी दिल्ली में न जाने कितनी सड़कों के नाम बदल दिये गये है। पर समझने की बात यह है कि हर बदलाव प्रगति नहीं होता।

राजपथ को कर्तव्य पथ कर देने मात्र से इस पथ पर चलने वालों की मानसिकता नहीं बदल जायेगी। मानसिकता का परिष्कार करने के लिए समाज की सोच को बदलने की आवश्यकता है। अतार्किक परिवर्तनों से बात नहीं बनती। ठोस परिवर्तनों की आवश्यकता है। सांस्कृतिक नवीनीकरण का तर्क अथवा इतिहास की कथित भूलों की दुहाई देकर बदले जाने वाले नाम भी कुल मिलाकर संकुचित सोच को ही दर्शाते हैं। आवश्यकता इस सोच से उबरने की है। यह भी समझना जरूरी है कि सिर्फ नाम बदलने से स्थितियां नहीं बदल जाती।

'मनरेगा' योजना में यदि कोई बुराई थी तो इसलिए नहीं थी कि उसके साथ गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ था और सिर्फ इसलिए नये नाम वाली 'मनरेगा' अच्छी नहीं हो जायेगी कि उसके साथ अब भगवान राम का नाम जुड़ेगा। जिस रामराज्य की दुहाई बापू दिया करते थे, वह तुलसी का वह शासन था जिसमें 'नाही दरिद्र कोई दुखी न दीना' की स्थिति थी जहां जनता को 'दैहिक, दैविक भौतिक तापों' से मुक्ति मिली हुई थी। राम-राज्य में राजा राम जनता से कहते है कि यदि उनसे कोई चूक होती है तो वह अपने राजा को दंड दे सकती है।

इस राम-राज्य को 'राजनीतिक सूझ-बूझ' से लिए गए निर्णयों से जोड़ना राम-राज्य की परिकल्पना से ही खिलवाड़ है। 'मनरेगा' का नाम-परिवर्तन शासन की राजनीतिक सूझ-बूझ पर आधारित होने का मतलब यही हो सकता है कि निर्णय के पीछे कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य है। नाम परिवर्तन की इस राजनीति से बचकर ही सही विकास की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। शेक्सपियर ने भले ही कह दिया हो कि गुलाब का नाम बदलने से उसकी गंध नहीं बदल जाती पर राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए नाम बदलने की राजनीति से उबरना जरूरी है। विकास के संदर्भ में यह राजनीति कहीं नहीं पहुंचाएगी। फिर, इस सवाल का जवाब भी सरकार को देना ही होगा कि उसे 'मनरेगा' से महात्मा गांधी का नाम हटाना क्यों जरूरी लगा। वह महात्मा किसी एक राजनीतिक दल से नहीं समूचे राष्ट्र, और समूचे विश्व, से जुड़ा था। उसके नाम से चल रही किसी योजना में बदलाव का मतलब यही नहीं होना चाहिए कि उससे राजनीतिक स्वार्थ की गंध आये। देश-विदेश में गांधी की मूर्तियों के सम्मुख सर झुकाने से नहीं, गांधी के दिखाये मार्ग पर चलने से बदलाव आयेगा। गांधी का नाम हटाने की मानसिकता गांधी को नकारने का ही संकेत देती है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है।

दुनिया के लिए खतरे की घंटी
ईरानी जल संकट

ग्लेशियर और भूजल एक तरह से प्राचीन ट्रस्ट फंड हैं। सूखे जैसी जरूरत के समय ही इनका उपयोग करने के बजाय हम इन्हें हल्के में ले रहे हैं। साथ ही हम अधिक वर्षा वाले वर्षों के दौरान भूजल प्रणालियों को फिर से भरने की कोशिश नहीं कर रहे है और ऐसा नहीं करके मीठे पानी का बड़ा संकट उत्पन्न कर रहे हैं।

ईरान इस समय भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। राजधानी तेहरान में हालत इतनी खराब है कि ईरानी राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो शहर वासियों को कहीं और ले जाना पड़ेगा। ईरान में पानी की कमी की जड़ें दुनिया

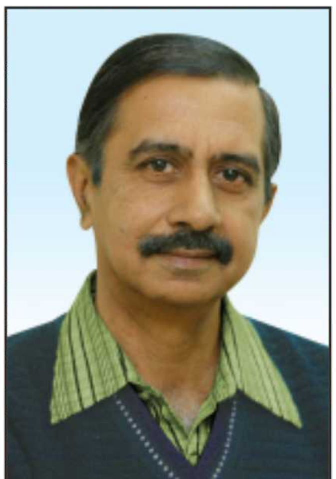

मुकुल व्यास

के कई दूसरे हिस्सों जैसी ही हैं। इसके लिए जो कारण जिम्मेदार हैं उनमें दशकों तक जरूरत से ज्यादा पानी निकालना, पुराना, लीक होता इन्फ्रास्ट्रक्चरय नदियों पर बने बांधों की बढ़ती संख्या और कुप्रबंधन शामिल है। इन सबके बीच जलवायु परिवर्तन का असर भी है, जिससे मौसम ज्यादा गर्म और शुष्क हो रहा है। इस वजह से साल-दर-साल सूखे हुए जलाशय भर नहीं पा रहे हैं।

ईरान का भयंकर सूखा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। दुनिया में ताजा पानी खतरनाक दर से लुप्त हो रहा है। दो दशकों से अधिक समय तक उपग्रहों से किए गए अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन, भूजल के असंतुलित उपयोग और अत्यधिक सूखे के कारण 2002 से पृथ्वी के महाद्वीपों में ताजे पानी की अभूतपूर्व कमी हो गई है। अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए नए अध्ययन में कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप स्तर के चार बड़े शुष्क क्षेत्र उभर रहे हैं। इनमें उत्तर-पश्चिम भारत के क्षेत्र शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इन विशाल शुष्क क्षेत्रों का जल सुरक्षा, कृषि, समुद्र के स्तर और वैश्विक स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है। शोध दल की रिपोर्ट के अनुसार भूमि पर शुष्क क्षेत्र हर साल कैलिफोर्निया के आकार से लगभग दोगुनी दर से बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि शुष्क क्षेत्रों के अधिक शुष्क होने की दर आर्द्र क्षेत्रों के अधिक आर्द्र होने की दर से ज्यादा हो गई है, जिससे लंबे समय से चला आ रहा जल चक्र उलटने लगा है। उपलब्ध स्वच्छ जल पर इसके नकारात्मक प्रभाव चौंकाने वाले हैं। दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी उन 101 देशों में रहती है जो पिछले 22 वर्षों से स्वच्छ जल की कमी झेल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले 50 से 60 वर्षों तक दुनिया की आबादी में वृद्धि जारी रहेगी। दूसरी तरफ स्वच्छ जल की उपलब्धता में भी लगातार कमी आने का खतरा है।

ईरान इस समय भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। राजधानी तेहरान में हालत इतनी खराब है कि ईरानी राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो शहर वासियों को कहीं और ले जाना पड़ेगा। ईरान में पानी की कमी की जड़ें दुनिया के कई दूसरे हिस्सों जैसी ही हैं। इसके लिए जो कारण जिम्मेदार हैं उनमें दशकों तक जरूरत से ज्यादा पानी निकालना, पुराना, लीक होता इन्फ्रास्ट्रक्चरय नदियों पर बने बांधों की बढ़ती संख्या और कुप्रबंधन शामिल है। इन सबके बीच जलवायु परिवर्तन का असर भी है, जिससे मौसम ज्यादा गर्म और शुष्क हो रहा है। इस वजह से साल-दर-साल सूखे हुए जलाशय भर नहीं पा रहे हैं।

शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि भूमि पर जल हानि किस प्रकार से हो रही है। उन्होंने पहली बार पाया कि जल हानि में 68 प्रतिशत हिस्सा भूजल का है जो समुद्र के स्तर में वृद्धि में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के संयुक्त योगदान से भी अधिक योगदान देता है। अध्ययन से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक जे. फैमिग्लिएटी ने कहा, ये निष्कर्ष हमारे जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में शायद अब तक का सबसे खतरनाक संदेश देते हैं। महाद्वीप सूख रहे हैं, स्वच्छ जल की उपलब्धता कम हो रही है और समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भूजल के निरंतर अति-उपयोग के परिणाम दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए भोजन का संकट पैदा कर सकते हैं और जल सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर वैश्विक जल सुरक्षा पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी।

शोधकर्ताओं ने अमेरिकी-जर्मन ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट (ग्रेस) और ग्रेस- फॉलोऑन मिशनों के दो दशकों से अधिक के आंकड़ों का मूल्यांकन किया और यह देखा कि 2002 के बाद से स्थलीय जल भंडारण कैसे और क्यों बदला है। स्थलीय जल भंडारण में पृथ्वी की सतह और वनस्पति जल, मिट्टी की नमी, बर्फ, हिम और भूमि पर संग्रहीत भूजल शामिल हैं। अध्ययन के प्रमुख लेखक और एरिजोना यूनिवर्सिटी के शोध वैज्ञानिक ऋषिकेश ए. चंदनपुरकर ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि हम बड़े पैमाने पर ऐसा जल खो रहे हैं जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। ग्लेशियर और भूजल एक तरह से प्राचीन ट्रस्ट फंड हैं। सूखे जैसी जरूरत के समय ही इनका उपयोग करने के बजाय हम इन्हें हल्के में ले रहे हैं। साथ ही हम अधिक वर्षा वाले वर्षों के दौरान भूजल प्रणालियों को फिर से भरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ऐसा नहीं करके मीठे पानी का बड़ा संकट उत्पन्न कर रहे हैं।

अध्ययन ने 2014-15 के आसपास, 'महा अल-नीनो' वर्षों के दौरान एक ऐसे समय की पहचान की है जब जलवायु की चरम घटनाओं में वृद्धि होने लगी जिनके परिणामस्वरूप भूजल का उपयोग बढ़ गया और महाद्वीपीय शुष्कता ग्लेशियर और बर्फ की चादरों के पिघलने की दर से भी अधिक हो गई। इसके अतिरिक्त अध्ययन ने एक और उतार-चढ़ाव का खुलासा किया, जहां 2014 के बाद सूखने वाले क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गए। महाद्वीपीय सूखापन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों, उदाहरण के लिए, यूरोप में सूखे की बढ़ती चरम सीमाएं हैं। इसके अतिरिक्त कनाडा और रूस में पिछले दशक में बर्फ, हिम और स्थायी तुषार भूमि (पर्माफ्रॉस्ट) के पिघलने में वृद्धि हुई है।

पिछले एक अध्ययन में टीम के सदस्यों ने 2002 से 2016 तक के उपग्रह डेटा से स्थलीय जल भंडारण का अध्ययन किया था। नए अध्ययन में टीम ने 20 से अधिक वर्षों के डेटा का अध्ययन किया। शोधकर्ता चंदनपुरकर के अनुसार यह अध्ययन वास्तव में यह दर्शाता है कि स्थलीय जल भंडारण का निरंतर अवलोकन कितना महत्वपूर्ण है। ग्रेस एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड वास्तव में उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां हम जलवायु परिवर्तनशीलता के दीर्घकालिक रुझानों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अधिक स्थानीय अवलोकन और डेटा साझा करने से बेहतर जल प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि महाद्वीपीय शुष्कता का अभूतपूर्व स्तर कृषि और खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, मीठे पानी की आपूर्ति और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है।

वर्तमान अध्ययन नीति निर्माताओं और समुदायों को बिगड़ती जल चुनौतियों और सार्थक परिवर्तन लाने के अवसरों के बारे में सूचित करने के लिए बड़े पैमाने पर निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर देता है। प्रमुख वैज्ञानिक फेमिग्लिएटी का मानना है कि यह शोध स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमें वैश्विक स्तर पर नई नीतियों और भूजल प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन हम क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय भूजल स्थिरता से संबंधित नई नीतियों को लागू करके महाद्वीपीय जल के सूखने की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर धीमी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण में मदद मिलेगी।

अध्ययन में भूजल क्षरण को धीमा करने और उसे उलटने, मीठे पानी के शेष संसाधनों की रक्षा करने और जल संकट व तटीय बाढ़ के बढ़ते जोखिम के अनुकूल होने के लिए तत्काल

कार्रवाई का आह्वान किया गया है। शोध दल का कहना है कि नियोजित जल प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और स्थायी नीतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण को सुनिश्चित करने के अलावा ग्रह प्रणालियों को होने वाले और अधिक नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

लेखक विज्ञान संबंधी मामलों के जानकार हैं।

धान घोटाला आढ़तियों-भ्रष्टतंत्र की देन

जिसे रोकने के लिए मंडी नियमन मे सुधार की दरकार

डॉ. वीरेन्द्र सिंह लाठर,
पूर्व प्रधान वैज्ञानिक अनुसंधान
भारतीय कृषि अनुसंधान
संस्थान, नई दिल्ली
मो. 9416801607

वर्ष 2025 में हरियाणा में 4,000 करोड़ रुपये के कथित धान घोटाले की खबरें समाचार-पत्रों की सुर्खियां बनी हुई हैं, जिसमें धान की सरकारी खरीद और मिलिंग से संबंधित कई बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिनमें आढ़तियों द्वारा गैर-कानूनी कच्ची पर्ची सिस्टम से समर्थन मूल्य से कम पर किसानों से धान खरीद करके सरकारी रिकॉर्ड में समर्थन मूल्य पर खरीद दिखाना, फर्जी गेट पास, फर्जी कागजी खरीद और अवैध परिवहन आदि शामिल है।

किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में धान की वास्तविक पैदावार से अधिक खरीद दिखाई गई है। बाढ़ के कारण फसल खराब होने के बावजूद खरीद के आंकड़ों में भारी वृद्धि दर्ज की गई। मंडियों में लगभग 12-15 लाख मीट्रिक टन धान की फर्जी खरीद के लिए 'फर्जी गेट पास' जारी किए जाने का दावा किया गया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में धान की सरकारी खरीद सबसे अधिक अनियमितताएं मिलने पर कई मंडी सचिव और निरीक्षकों सहित अधिकारियों, आढ़तियों और किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं।

आढ़तियों-सरकारी तन्त्र के भ्रष्ट घोल-मेल से धान घोटाला मुख्यत: 2 गैर-कानूनी तरीके से रचा गया। पहला 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान सस्ते दाम पर दूसरे राज्यों से खरीदकर, हरियाणा की मंडियों में समर्थन मूल्य पर फर्जी खरीद के लिए 'फर्जी गेट पास' आदि जारी करके रचा और दूसरा लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान आढ़तियों द्वारा गैर-कानूनी कच्ची पर्ची सिस्टम से किसानो से 300-700 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से कम पर खरीदकर, रिकॉर्ड में 2390 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद में दिखाई गई।

केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य उद्देश्यों के लिए, कृषि उपज मंडीयों के कमीशन एजेंटों/आढ़तियों के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर गेहूं, चावल, सरसों, बाजरा आदि की खरीद करती है। केन्द्र सरकार समर्थन मूल्य का 2 प्रतिशत (लगभग 48.50 रुपये प्रति क्विंटल) बाजार शुल्क और कृषि उपज मंडियों के कमीशन एजेंटों/आढ़तियों को 55 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन तथा 26.28 रुपये प्रति क्विंटल की दर से श्रम शुल्क का भुगतान करती है। यह भुगतान हरियाणा सरकार के खाद्य लेखा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विकास विभाग के संयुक्त नियंत्रक द्वारा जारी 3 अप्रैल, 2025 के पत्र के अनुसार किया जाता है। मंडी में मजदूरी शुल्क में बोरियों को भरना, वज़न करना, तराजू से उतारना, बोरियों की सिलाई करना, बोरियों को लादना आदि शामिल थे। आढ़तियों को सरकार से उनका निर्धारित कमीशन और मजदूरी शुल्क मिलने के बावजूद, आढ़ती सार्वजनिक धन के गबन और किसानों को कच्ची पर्ची (अनौपचारिक बिक्री रसीदों) के माध्यम से लूटने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में अवैध रूप से लिप्त रहते हैं।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार हरियाणा सरकार ने, धान के खरीद सीज़न की समाप्ति 15 नवंबर 2025 तक, लगभग 10 लाख किसानों से 62 लाख टन से अधिक धान की खरीद करके, किसानों के बैंक खातों में 14,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की है, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आढ़तियों ने हड़प ली यानि आढ़तियों ने केवल धान सरकारी खरीद में प्रति किसान लगभग 40,000 रुपये लूट लिए। इसी तरह गेहूं-धान-मूंग फसल-चक्र प्रणाली में आढ़ती 10,000 करोड़ रूपये वार्षिक का मार्केटिंग घोटाला करके प्रति किसान लगभग एक लाख रुपये वार्षिक का आर्थिक शोषण करते हैं। चतुर आढ़ती इस पूरे मार्केटिंग घोटाले को अंजाम देने के लिए कच्ची पर्ची सिस्टम और किसानों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आढ़ती कच्ची पर्ची पर लिखे दाम और समर्थन मूल्य दाम की अन्तर धन राशि गैर-कानूनी हथकंडे द्वारा जबरन किसानों से उगाही करते हैं।

गौरतलब है कि हरियाणा में आढ़तियों द्वारा किए जा रहे 10,000 करोड़ रुपए वार्षिक के मार्केटिंग घोटाले से, प्रदेश में लाईसेंसधारी 25,000 कार्यरत आढ़ती लगभग 40 लाख रूपये वार्षिक काले धन की कमाई कर रहे है। फिर इसी काले धन को आगे उंची ब्याज दर पर किसानो को कर्ज देकर गैरकानूनी मनी लाउंडरिंग बिजनेस भी चला रहे है। जिसके दुष्प्रभाव से भोले किसान कभी भी खत्म नही होने वाली कर्जबन्द व्यवस्था में जकड़ जाने पर, मजबूरन आत्महत्या करते है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा-पंजाब में आढ़तियों द्वारा सरकारी मिली-भगत से गैर-कानूनी कच्ची पर्ची सिस्टम द्वारा किसानों से 300-500 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से कम पर धान- गेहूं खरीदकर, सरकारी खरीद में समर्थन मूल्य पर दिखाने का घोटाला पिछले कई दशकों से जारी है। किसान जब गेहूं-धान फसल उपज बेचने के लिए अनाज मंडियों में लाता है, तब आढ़ती का कार्टेल बना कर, नमी ज्यादा, दानों का बदरंग व टूटने जैसे फर्जी बहाने बना कर और खरीद कीमतों में हेरा-फेरी करके, किसान की फसल उपज को सस्ते में एम.एस.पी. दाम से कम पर खरीदने का नाटक करते है, जबकि उस उपज की पहले ही सरकारी दाम पर खरीद हो चुकी होती है। पिछले वर्ष खरीफ 2024 में ऐसी धोखाधड़ी मेरे साथ होने पर मैंने इस गैर-कानूनी कच्ची पर्ची सिस्टम के खिलाफ सरकार को 22 नवंबर, 2024 और 11 मार्च, 2025 को उचित कार्रवाई करने और कच्ची पर्ची सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग के लिए पत्र लिखे। लेकिन दुर्भागय से सरकार ने इस बारे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

निसंदेह समय रहते, अगर सरकार ने मेरे पत्र पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की होती, तो इस वर्ष हुए 4,000 करोड़ रूपये से अधिक के धान घोटाले से बचा जा सकता था, जिसे आढ़तियों ने अफसरों की मिलीभगत से, किसानों को लूटने के लिए सरेआम खेला है, जिसकी राष्ट्रीय और किसान हित में उच्च स्तरीय जांच सी.बी.आई. द्वारा जांच और दोषी आढ़तियों के लाईसेंस रद्द होने चाहिए। इस तरह के घोटाले की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार को मंडी नियमन में गैर-कानूनी कच्ची पर्ची सिस्टम पर प्रतिबंध लगाकर, आढ़तियों को अपनी दुकान की प्रिंटिड पक्की पर्ची किसानों के देने के आदेश जैसे सख्त सुधार के फैसले लेने होंगे।